

परिशिष्ट

अ_ सामान्य आँकड़े		
क्रम सं0	विवरण	आँकड़े
1	क्षेत्रफल	94163 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या	
2	अ 2001 के जनगणना के अनुसार	8.3 करोड़
	ब 2011 के जनगणना के अनुसार	10.38 करोड़
3	अ जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 325 प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.)	881 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
	ब जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय घनत्व = 382 (प्रति व्यक्ति वर्ग कि.मी.)	1102 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी
4	गरीबी रेखा के नीचे का जनसंख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.92 प्रतिशत)*	41.4 प्रतिशत
5	अ साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 64.8 प्रतिशत)	47 प्रतिशत
	ब साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत = 74.04 प्रतिशत)	63.82 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (राष्ट्रीय औसत = 50 प्रति 1000 जन्म पर)	42
7	जीवन का संभावित जन्म दर (राष्ट्रीय औसत = 63.5 वर्ष)	61.1 वर्ष
8	गिन्नी गुणांक ¹	
	अ ग्रामीण (संपूर्ण भारत = 0.30)	0.29
	ब शहरी (संपूर्ण भारत = 0.37)	0.38
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2012–13 वर्तमान दर पर (₹ करोड़ में)	294388
10	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. ² सी.ए.जी.आर. ³ (2003–04 से 2012–13)	विहार सामान्य कोटि के राज्य
11	जी.एस.डी.पी., सी.ए.जी.आर. (2003–04 से 2012–13)	विहार सामान्य कोटि के राज्य
12	जनसंख्या वृद्धि (2001 से 2011)	विहार सामान्य कोटि के राज्य
ब	वित्तीय आँकड़े	

क्रम सं0	विवरण	आँकड़े (प्रतिशत में)		
1	सी.ए.जी.आर.	2003–04 से 2011–12	2003–04 से 2012–13	
		सामान्य कोटि के राज्य	विहार	विहार
क	राजस्व प्राप्तियों का	17.48	19.36	18.97
ख	अपने कर राजस्व का	17.44	20.22	21.13
ग	गैर कर राजस्व का	12.64	13.62	15.08
घ	कुल व्यय का	14.15	16.54	16.41
ङ.	पौर्जीगत व्यय का	16.83	24.34	22.42
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	16.85	17.36	19.53
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	15.35	13.79	14.69
ज	वेतन एवं मजदूरी का [#]	14.18	11.73	11.66
झ	पेंशन का	18.36	16.71	15.58

स्रोत: वित्तीय आँकड़ा वित्त लेखा पर आधारित आँकड़े हैं।

*बी.पी.एल. (योजना आयोग एवं एन एस ओ आँकड़े 61वें राउण्ड एचटीटीपी://योजना आयोग निक.इन/डाटा/डाटावेस/डाटा 0910/टेब%2021.पीटीएफ), गिन्नी गुणांक (योजना आयोग का गैर सरकारी प्राक्कलन एवं एनएसएसओ डाटा, 61वें राउण्ड 2004–05 एम आर पी), जीवन का संभावित जन्म दर (भारत के महानिबंधक का कार्यालय; गृह मंत्रालय) आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13, शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन जनवरी 2013), जनसंख्या घनत्व (भारत के महानिबंधक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय; गृह मंत्रालय) एवं शिक्षा (भारत के महानिबंधक का कार्यालय, गृह मंत्रालय)

[#]अवधि 2003–04 से 2011–12 या 2012–13 के मामले में।

¹ यह आय के असामान्य वितरण का माप है जहाँ शून्य पूर्ण समानता को दर्शाता है एवं एक पूर्ण असमानता को दर्शाता है।

² जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

³ सी.ए.जी.आर. = गिन्नी वार्षिक विकास दर।

सरकारी लेखा की संरचना : सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है (i) संचित निधि (ii) आकस्मिकता निधि एवं (iii) लोक लेखा

भाग I संचित निधि : सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषागार विपत्रों को निर्गत कर इकट्ठा किए गए सभी ऋण, वाह्य एवं आंतरिक ऋण एवं ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन एक संचित निधि का निर्माण करेंगे जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत स्थापित “राज्य की संचित निधि” कहा जाता है ।

भाग II आकस्मिकता निधि : संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के व्ययन हेतु एक कोष है जो विधानमंडल के लंबित प्राधिकार तक आवश्यक अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति हेतु अग्रिम मुहैय्या करता है । तत्पश्चात विधान मंडल से ऐसे व्यय एवं संचित निधि से समतुल्य राशि की निकासी हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाता है जिससे आकस्मिकता निधि से अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति हो जाती है ।

भाग III लोक लेखा : कुछ विषेश लेन-देन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा उचंत, प्रेषण इत्यादि जो संचित निधि का अंश नहीं है, से संबंधित प्राप्तियाँ एवं भुगतान संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखे जाते हैं एवं विधान मंडल द्वारा मत हेतु प्रस्तुत नहीं होते हैं ।

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखा की रूपरेखा

विवरणी	रूपरेखा
वित्त लेखा दो भागों में वितरित है । भाग एक सरकार के वित्तीय विवरण के सारांशीकृत रूप में और भाग दो में विस्तृत विवरण प्रस्तुत है । भाग एक में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रमाण-पत्र चार सारांश विवरण और लेखाओं की योजना पर टिप्पणी को सम्मिलित करते हुए नीचे दिया गया है ।	
विवरण संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण : सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्यों के संचयी आंकड़े, जो वर्ष के अंत में रहता है, विवरणी में दिखाये गए हैं । ये परिसंपत्तियाँ सरकार की भौतिक परिसंपत्तियाँ को दर्शाने वाली उत्तरोत्तर पूँजीगत व्यय के आंकड़ों के लिए मुख्यतः वित्तीय परिसंपत्तियों हैं । लेखा नीति के तहत परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक मूल्य पर दिखाया गया है ।
विवरण संख्या 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण : यह सरकार द्वारा चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीनों भागों-संचित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा में प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरणी है । इसके अतिरिक्त राजस्व एवं पूँजीगत लेखा से संबंधित प्राप्तियों एवं व्ययों को संचित निधि के तहत पृथक रूप से दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि): इसके अंतर्गत राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार द्वारा प्राप्त की गई उधार राशि जिसमें भारत सरकार से प्राप्त कर्ज तथा सरकार द्वारा दिए गए कर्ज एवं पेशगियों की वसूलियाँ सम्मिलित हैं ।
विवरण संख्या 4	व्यय की विवरण (समेकित निधि) प्रयोजनवार एवं प्रकृतिवार: यह विवरण न केवल प्रयोजनवार व्यय को दर्शाता है बल्कि व्यय की गतिविधि की प्रकृति (विषय शीर्षवार व्यय) को भी सारांशीकृत करती है ।
इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट, परिशिष्ट-1 भी सम्मिलित है जो सरकार के रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश का विवरणी है ।	
खण्ड II तीन भागों में विभक्त है ।	
भाग I में छ: विवरणी शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं—	
विवरण संख्या 5	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण : यह विवरण प्रगामी पूँजीगत व्यय को कार्यकारी शीर्षवार बतलाता है जिसकी समिष्टि विवरण-1 में दर्शाया गया है ।
विवरण संख्या 6	उधार एवं अन्य दायित्वों का विवरण : सरकार द्वारा ली गई उधार स्वरूप बाजार ऋण (आंतरिक ऋण) एवं भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं पेशगियाँ सम्मिलित हैं । इन दोनों को मिला कर राज्य सरकार का लोक ऋण निर्मित होता है । इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी अन्य दायित्वों जो लेखा अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के शेषों को भी दर्शाता है । लोक लेखा के संबंध में सरकार निधि के संरक्षक या न्यासी के रूप में कार्य करती है । अतएव यह लेखा सरकार के दायित्वों को संस्थापित करती है । इस विवरणी में ऋणशोधन कार्य संबंधी टिप्पणी अर्थात् निवल ब्याज प्रभार जिन्हें राजस्व प्राप्तियों से वहन किया जाता है का भी उल्लेख है ।

परिशिष्ट 1.2

परिशिष्ट 1.2 भाग ख : वित्त लेखा की रूपरेखा	
विवरण	रूपरेखा
विवरण संख्या 7	सरकार द्वारा दिये गए कर्ज तथा पेशगियों का विवरण : सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों को विवरण संख्या 1 में दर्शाया गया है तथा तत्संबंधी वसूलियाँ एवं संवितरणों को विवरण संख्या 2, 3 तथा 4 में दर्शाया गया है। यहाँ कर्ज एवं पेशगियों को प्रभागवार-ऋणवार समूह में सारांशीकृत किया गया है। इसके अंतर्गत बकाये कर्ज की वसूलियाँ संबंधी टिप्पणी सम्मिलित हैं जिसके विस्तृत आँकड़ों का संधारण महालेखाकार कार्यालय एवं संबंधित विभागों द्वारा किया जाता है।
विवरण संख्या 8	सहायता सरकार द्वारा दिये गये सहायक अनुदान का विवरण : यह अनुदानग्राही संस्थाओं द्वारा समूहवार संघटित किया गया है। इसमें वस्तु के रूप में दिये गए अनुदान पर टिप्पणी भी अंकित है।
विवरण संख्या 9	सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों का विवरण : सरकार द्वारा वर्ष के दौरान सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों की ऋण वापसी हेतु दी गयी गारंटियों एवं वर्ष के अंत तक लंबित प्रत्याभूत राशियों का उल्लेख इस विवरणी में प्रदर्शित किया गया है।
विवरण संख्या 10	दत्तमत एवं प्रभारित व्यय का विवरण : इस विवरण के अंतर्गत सरकार के दत्तमत एवं प्रभारित व्ययों को विस्तृत उल्लेख है।
खण्ड II भाग II: इस भाग में नौ विवरण सम्मिलित हैं जो लघुशीर्षवार हुए संव्यवहारों को दर्शाता है जो खण्ड I एवं खण्ड II के भाग I के विवरणों में सदृश अनुकूल है।	
विवरण संख्या 11	लघुशीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्योरेवार विवरण : यह विवरण सरकार के राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत रूप में दर्शाता है।
विवरण संख्या 12	लघुशीर्षवार राजस्व व्यय का ब्योरेवार विवरण : यह विवरण सरकार के राजस्व व्यय को विस्तृत रूप में दर्शाता है। गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग-अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है।
विवरण संख्या 13	पूँजीगत व्यय का ब्योरेवार विवरण : इसके अंतर्गत सरकार के पूँजीगत व्यय का विस्तृत उल्लेख है। गैर योजना एवं योजनागत आँकड़ों को अलग-अलग एवं विगत वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें वर्ष के अंत तक संचयी पूँजीगत व्यय का वर्णन भी सम्मिलित है।
विवरण संख्या 14	सरकारी निवेशों का ब्योरेवार विवरण : विभिन्न संस्थाओं के शेयर पूँजी और डिबेंचर के रूप में सरकारी निवेशों की विगत एवं चालू वर्ष की स्थिति को इस विवरणी में दर्शाया गया है। इसके अंतर्गत शेयरों का प्रकार, अंकित मूल्य, प्राप्त लाभांश का भी उल्लेख किया गया है।
विवरण संख्या 15	उधार एवं अन्य दायित्वों का ब्योरेवार विवरण : सरकार द्वारा प्राप्त उधार एवं अन्य दायित्वों (बाजार ऋण तथा भारत सरकार से प्राप्त कर्ज) को लघुशीर्षवार, उसकी परिपक्वता एवं ऋण की वापसी संबंधी रूपरेखा इस विवरण में प्रस्तुत किया गया है। यह विवरण खण्ड 2 के भाग 1 में विवरण संख्या 6 का विस्तृत रूप है।
विवरण संख्या 16	सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरेवार विवरण : सरकार द्वारा दिये गए कर्ज एवं पेशगियों का ब्योरा, ऋण शेषों में बदलाव, ऋण का अपलेखन, ऋणों पर प्राप्त ब्याज आदि को इस विवरण में दर्शाया गया है। इसमें योजनागत कर्ज को अलग से दर्शाया गया है। यह विवरणी खण्ड 2 के भाग 1 के विवरणी 7 का विस्तृत रूप है।
विवरण संख्या 17	व्यय हेतु निधियों के स्रोत तथा उनके अनुप्रयोग (राजस्व लेखे को छोड़कर) का ब्योरेवार विवरण : पूँजीगत एवं अन्य व्यय (व्यय शीर्ष राजस्व लेखा को छोड़कर) व्यय के लिए निधियों के स्रोतों का उल्लेख इस विवरणी में किया गया है।
विवरण संख्या 18	आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के संव्यवहारों को ब्योरेवार विवरण : इस विवरण के अंतर्गत वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि में हुए बदलाव, निधि को विनियोजन, व्यय एवं वापस प्राप्त किये गये राशि को दर्शाया गया है। इसमें लोक लेखा के संव्यवहारों को भी विस्तृत रूप में दर्शाया गया है।
विवरण संख्या 19	उद्दिदष्ट निधियों के निवेशों को ब्योरेवार विवरण : उद्दिदष्ट निधियों से लोक लेखा में निवेशों की विस्तृत ब्योरा इस विवरण में दर्शाया गया है।

(स्रोत : वित्त लेखा)

(2010 का बिहार अधिनियम संख्या 25)
बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010

प्रस्तावना:—राजकोषीय समेकन के लिये तेरहवे वित्त आयोग द्वारा यथा अनुशसित पुनरीक्षित रूपरेखा को लागू करने एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन प्रक्रिया को और पारदर्शी तथा व्यापक बनाने के लिए राजकोषीय लक्ष्यों में संशोधन का उपबंध करने हेतु बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट अधिनियम 2006 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इक्सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधियमित थे:—

1. (अ) यह अधिनियम बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा।
(ब) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(स) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में इस निमित्त को नियमित करें।
2. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—2 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 2 की उप—धारा (ठ) के बाद निम्नलिखित नयी उप—धारा (ड) जोड़ी जायेगी:
(ड) “ऋण” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा ब्याज पर ली गई उधार की राशि।
3. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—3 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा—3 की उप धारा (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:
(अ) “राजकोषीय सुधार के मार्ग पर आने के लिए वर्ष 2007–08 में शून्य राजस्व घाटा अथवा राजस्व अधिशेष प्राप्त करने पर वर्ष 2011–12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तीन प्रतिशत राजकोषीय घाटा प्राप्त करेगी और उसे उसके बाद बनाये रखना होगा”।
बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा—9 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा 9 (2) (अ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:
(ब) “वित्तीय वर्ष 2010–11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का राजकोषीय घाटा 3.5 प्रतिशत करेगी एवं वर्ष 2011–12 में यह तीन प्रतिशत होगी और इसे वर्ष 2014–15 तक बनाये रखना होगा”।
4. बिहार अधिनियम 5, 2006 की धारा 9 में संशोधन 1—बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 5, 2006) की धारा—9 की उप—धारा 2 के खंड (अ) के बाद निम्नलिखित नया खण्ड (ग) जोड़ा जायेगा:
(स) “ऋण को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2010–11, 2011–12, 2012–13, 2013–14 एवं 2014–15 के लिये क्रमशः 48.2, 46.4, 44.6, 43.0 एवं 41.6 तक लायेगी”।

चुनिंदा राजकोषीय परिवर्तनशीलता के लिए तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित प्रतिमान/उच्चतम सीमा एवं राजकोषीय समूहों के लिए इनके प्रक्षेपण के साथ राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय अधिनियम एवं अन्य विवरणियों में अपनी प्रतिबद्धता/प्रेक्षण अधिनियम (परिशिष्ट 1.2 का भाग ख) के अंतर्गत विधानमंडल के समक्ष मुख्य राजकोषीय योग की प्रवृत्ति एवं प्रतिरूप के गुणात्मक निर्धारण हेतु रखे जाने की आवश्यकता है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) को राज्य के आर्थिक निष्पादन का अच्छा सूचक मानते हुए मुख्य राजकोषीय समुच्चय जैसे कर एवं करेतर राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा मुख्य राजकोषीय घाटा को चालू बाजार दर पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किया गया।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति नीचे दर्शायी गई है :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) चालू मूल्य पर

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	142279	164547	198135(पी)	246487(क्यू)	294388(ए)
सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विकास दर	19.64	15.65	20.41	24.40	19.43

पी—अनंतिम क्यू—त्वरित, ए—अग्रिम

(स्रोत : निदेशालय सांख्यिकी एवं आर्थिक विभाग, बिहार सरकार)

कुछ चुने हुए शब्दों जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय के प्रवृत्ति एवं प्रकृति के निर्धारण में किया गया है, परिभाषा के साथ नीचे दिए गए हैं:-

शब्द	गणना का आधार
प्राचल की उत्पलावकता	प्राचल की वृद्धि दर/जी.एस.डी.पी. वृद्धि दर
अन्य प्राचल (Y) के संदर्भ में प्राचल (X) की उत्पलावकता	प्राचल (X) की वृद्धि दर/ प्राचल (Y) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	[(चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि)-1]*100
विकास व्यय	समाजिक सेवायें + आर्थिक सेवायें
समुच्चित व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	ब्याज भुगतान /[(पिछले वर्ष की राजकोषीय दायित्व की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय दायित्व)2]*100
ब्याज विस्तार	जी.एस.डी.पी. वृद्धि – औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	संचित ऋण * ब्याज विस्तार
बकाया ऋणों की प्रतिशतता में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(प्रारंभिक शेष + ऋण एवं अग्रिम का अंत शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्ति – राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम – राजस्व प्राप्तियाँ – विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्राथमिक घाटा	राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियाँ घटावे मुख्य शीर्ष 2048 ऋण की परिहार्यता की कमी के लिए विनियोजन में अंकित व्यय को छोड़कर सभी योजना अनुदान एवं गैर योजना राजस्व व्यय

संवितरणों का सार

(संदर्भ: कंडिका 1.1.1, 1.6.1, पृष्ठ 2 एवं 16)

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2011-12		2012-13		2011-12		2012-13	गैर योजना	योजना	योग
	खण्ड: अ राजस्व								
51320.17	I राजस्व प्राप्तियाँ		59566.66	46499.49	I राजस्व व्यय	37573.69	16892.46	54466.15	
12612.10	कर राजस्व	16253.08		17729.72	सामान्य सेवाएँ	18570.99	74.12	18645.11	
889.86	करेतर राजस्व	1135.27		18728.78	सामाजिक सेवाएँ	11078.22	12029.15	23107.37	
27935.23	संघीय करों का राज्यांश	31900.39		10157.28	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	8309.52	5770.65	14080.17	
2562.62	गैर योजना अनुदान	2412.58		1803.53	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1557.75	278.14	1835.89	
5065.39	राज्य योजना हेतु अनुदान	5051.97		1713.32	जलाधीर्ति स्वच्छता,आवास एवं नगर विकास	671.99	1632.16	2304.15	
2254.97	केन्द्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु अनुदान	2813.37		56.39	सूचना एवं प्रसारण	66.31	7.66	73.97	
				1059.63	अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	92.14	1658.42	1750.56	
				87.76	श्रम एवं श्रम कल्याण	73.97	19.38	93.35	
				3588.99	समाज कल्याण एवं पोषाहार	264.72	2750.81	3015.53	
				261.88	अन्य	41.82	-88.07	-46.25	
				10037.82	आर्थिक सेवाएँ	7920.77	4789.19	12709.96	
				1914.47	कृषि एवं संबद्ध कार्यकलाप	612.55	2557.67	3170.22	
				2914.60	ग्रामीण विकास	2204.63	1227.62	3432.25	
					विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	-	-	
				1311.35	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	850.85	63.33	914.18	
				2168.02	उर्जा	3198.87	1.07	3199.94	
				363.19	उद्योग एवं खनिज	59.48	474.41	533.89	
				788.53	परिवहन	824.95	0.56	825.51	

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ				संवितरण						
2011-12		2012-13		2011-12		2012-13	गैर योजना	योजना	योग	
				-		विज्ञान, प्रावैधिकी एवं पर्यावरण	-	-		
				577.66		सामान्य अर्थिक सेवाएँ	169.44	464.53	633.97	
				3.17		सहायता अनुदान एवं अंशदान	3.71	शून्य	3.71	
			59566.66	46499.49		कुल			54466.15	
	II	खण्ड ब में ले जाए गए राजस्व धारे			4820.68	II	खण्ड ब में से ले जाए गए राजस्व अधिशेष		5100.51	
51320.17		कुल	59566.66	51320.17		कुल			59566.66	
		खंड ब अन्य								
2735.44	III	स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश को शामिल करते हुए आरमिक रोकड़ शेष		1509.45		III	भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओभर ड्राफ्ट			
	IV	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ			8852.01	IV	पूँजीगत परिव्यय	93.15	9491.37	9584.52
				608.06		सामान्य सेवाएँ	84.41	632.93	717.34	
				807.14		सामाजिक सेवाएँ	9.45	1321.34	1330.79	
				56.40		शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	-0.10	364.54	364.44	
				321.05		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	शून्य	562.50	562.50	
				331.96		जलाधार्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास	9.55	272.89	282.44	
						सूचना एवं प्रसारण	शून्य	शून्य	शून्य	
				3.50		अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	शून्य	3.79	3.79	
				82.43		समाज कल्याण एवं पोषाहार	शून्य	24.24	24.24	
				11.80		अन्य सामाजिक सेवाएँ	शून्य	93.38	93.38	
			7436.81			अर्थिक सेवाएँ	-0.71	7537.10	7536.39	

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ					संवितरण					
2011-12		2012-13		2011-12		2012-13				
						गैर योजना	योजना	योग		
				117.29	कृषि एवं संबंध्क कार्यकलाप	शून्य	91.66	91.66		
				1088.78	ग्रामीण विकास	-0.06	1874.46	1874.40		
					विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	-	-	-		
				1963.98	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-1.18	1941.22	1940.04		
				102.37	उज्ज्वल	शून्य	173.63	173.63		
				66.26	उद्योग एवं खनिज	शून्य	48.81	48.81		
				4063.51	परियहन	0.53	3312.28	3312.81		
				34.62	सामान्य आर्थिक सेवाएँ	शून्य	95.04	95.04		
22.51	V	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली		24.70	1906.08	V	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	104.07	1981.88	2085.95
		विद्युत परियोजनाओं से			935.54		विद्युत परियोजनाओं हेतु	63.21	1017.67	1080.88
10.62		सरकारी सेवकों से	12.91		17.39		सरकारी सेवकों को	16.46	-	16.46
11.89		अन्य से	11.79		953.15		अन्य से	24.40	964.21	988.61
4820.68	VI	राजस्व आधिक्य नीचे ले जाए गए		5100.51		VI	राजस्व घाटा नीचे ले जाए गए			
6627.96	VII	लोक ऋण प्राप्तियाँ		9553.96	2922.46	VII	लोक ऋण का पुनर्भुगतान			3069.96
		बाहरी ऋण					बाहरी ऋण			
5801.40		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण	9045.94		2456.98		अर्थोपाय अग्रिमों एवं ओभरड्राफ्ट के अलावे आंतरिक ऋण			2585.23
		अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन					अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन			
		ओभर ड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेन-देन								
826.56		भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	508.02		465.48		भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान			484.73
75.41		अंतर्राज्यीय समाशोधन	शून्य		1.39		अंतर्राज्यीय समाशोधन			शून्य
800.00	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन		2250.00	800.00	VIII	आकस्मिकता निधि को विनियोजन			2250.00

परिशिष्ट 1.4

प्राप्तियाँ				संवितरण					
2011-12		2012-13		2011-12		2012-13	गैर योजना	योजना	योग
	IX	आकस्मिकता निधि के राशि का स्थानांतरण			IX	आकस्मिकता निधि से व्यय			
22302.61	X	लोक लेखा प्राप्तियाँ		27066.21	21393.22	X	लोक लेखा संवितरण		24798.82
1031.81		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ		1296.09	1033.94		लघु बचत एवं भविष्य निधियाँ		1511.64
1114.53		आरक्षित निधि		799.33	542.17		आरक्षित निधि		268.44
419.14		उचंत एवं विविध		528.82	976.07		उचन्त एवं विविध		795.34
9859.15		प्रेषण		8927.17	9895.97		प्रेषण		8907.65
9877.98		जमा एवं अग्रिम		15514.80	8945.07		जमा एवं अग्रिम		13315.75
	XI	भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओभरड्राफ्ट			1509.45	XI	अंतिम रोकड़ शेष		3715.58
							कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
					-93.15		रिजर्व बैंक के पास जमा		188.21
					491.62		विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित		521.52
					1110.98		रोकड़ शेष निवेश		3005.85
37384.61		योग		45504.83	37384.61		योग		45504.83

(स्रोत: वित्त लेखा)

यथा वास्तविकी

(संदर्भ: कंडिका 1.1.2, पृष्ठ 4)

(₹ करोड़ में)

विवरण	बजट अनुमान	वास्तविकता	आधिक्य (+)/ घाटा (-)	प्रतिशतता आधिक्य(+) / घाटा (-)
राजस्व प्राप्तियाँ	68047.86	59566.66	8481.2	12.46
निजी कर राजस्व	15695.30	16253.08	-557.78	-3.55
करेचर राजस्व	3142.46	1135.27	2007.19	63.87
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	33126.33	31900.39	1225.94	3.70
केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	16083.77	10277.92	5805.85	36.10
राजस्व व्यय	60959.27	54466.15	6493.12	10.65
सामान्य सेवाएँ	22192.64	18645.11	3547.53	15.99
राज्य का अंग	946.79	710.68	236.11	24.94
राजकोषीय सेवाएँ	666.93	590.26	76.67	11.50
व्याज भुगतान और कर्ज परिशोधन	5484.00	4683.26	800.74	14.60
प्रशासनिक सेवाएँ	5051.90	4288.51	763.39	15.11
पेशन और विविध सामान्य सेवाएँ	10043.02	8372.40	1670.62	16.63
सामाजिक सेवाएँ	25632.67	23107.37	2525.30	9.85
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15087.80	14080.17	1007.63	6.68
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2534.88	1835.89	698.99	27.57
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	2679.80	2304.15	375.65	14.02
सूचना और प्रसारण	71.35	73.97	-2.62	-3.67
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1125.21	1750.56	-625.35	-55.58
श्रम एवं श्रम कल्याण	108.21	93.35	14.86	13.73
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	3978.18	3015.53	962.65	24.20
अन्य	47.24	-46.25	93.49	197.90
आर्थिक सेवाएँ	13129.83	12709.96	419.87	3.20
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	2625.45	3170.22	-544.77	-20.75
ग्रामीण विकास	4115.84	3432.25	683.59	16.61
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1146.00	914.18	231.82	20.23
ऊर्जा	2181.77	3199.94	-1018.17	-46.67
उद्योग और खनिज	688.47	533.89	154.58	22.45
परिवहन	1017.40	825.51	191.89	18.86
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1354.90	633.97	720.93	53.21
सहायता अनुदान और अंशदान	4.12	3.71	0.41	9.95
पूँजीगत व्यय	17727.56	9584.52	8143.04	45.93
सामान्य सेवाएँ	1994.84	717.34	1277.50	64.04
सामाजिक सेवाएँ	1986.01	1330.79	655.21	32.99
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	288.97	364.44	-75.47	-26.12
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	532.90	562.50	-29.60	-5.55
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	397.12	282.44	114.66	28.87
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	29.72	3.79	25.93	87.25
सामाजिक कल्याण और पोषाहार	737.30	24.24	713.06	96.71
अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.00	93.38	-93.38	0.00
आर्थिक सेवाएँ	9431.53	7536.39	1895.14	20.09
कृषि और संबद्ध सेवाएँ	144.84	91.66	53.18	36.72
ग्रामीण विकास	2058.69	1874.40	184.29	8.95
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2429.03	1940.04	488.99	20.13
ऊर्जा	858.88	173.63	685.25	79.78
उद्योग और खनिज	79.50	48.81	30.69	38.60
परिवहन	3833.02	3312.81	520.12	13.57
सामान्य आर्थिक सेवाएँ	27.57	95.04	-67.47	-244.72
राजस्व आधिक्य (+) / घाटा (-)	7088.59	5100.51	1988.08	28.05
राजकोषीय घाटा (-)	7569.43	6545.00	1024.43	13.53
प्राथमिक आधिक्य (+) / घाटा (-)	-2383.43	-1862.00	-521.43	21.88

स्त्रोत: वित्त लेखा

(₹ करोड़ में)

कार्यक्रम / योजना	राज्य में क्रियान्वयन करने वाले एजेन्सियों	2011-12	2012-13
		केन्द्रांश	केन्द्रांश
सर्व शिक्षा अभियान	बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद	1851.09	2754.62
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना		1300.73	1227.81
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना		67.88	138.25
इंदिरा आवास योजना		2170.82	1684.74
समेकित जलाच्छादन प्रबंधन कार्यक्रम		5.46	17.03
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (प्रशासन)		29.99	14.70
योग डी.आर.डी.ए.		3574.88	3082.53
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्वास्थ्य समिति	6.45	757.95
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	पंजीकृत समितियाँ	3195.74	959.75
सांसदों द्वारा रथानीय क्षेत्र विकास योजना	जिला मजिस्ट्रेट	100.97	224.00
सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विज्ञान एवं तकनीकी कार्यक्रम	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	0.31	0.31
ऑफ ग्रिड डी.आर.पी.एस.	बिहार पुर्ननवीनीकरण उर्जा विकास अभिकरण	5.90	5.90
कला और संस्कृति का प्रोन्नति और संवर्द्धन	पंजीकृत समितियाँ (स्वयंसेवी संस्थाएँ)	1.16	1.16
स्मारिका तथा अन्य	नव नालंदा महाविहार	3.00	0.00
महिला समाज्या	बिहार महिला समाज्या समिति	5.99	6.94
व्यस्क शिक्षा एवं दक्षता विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं, एस.आर.सी. को सहयोग	जन शिक्षण संस्थान	5.90	4.83
स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायक अनुदान सहित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना	बाल श्रम परियोजना समिति	12.39	0.00
असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	बिहार राज्य श्रम कल्याण समितियाँ	119.27	0.00
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान	राज्य कृषि प्रबंधन तथा विस्तार प्रशिक्षण	74.87	65.73
गहन डेयरी विकास कार्यक्रम (आई.डी.डी.पी.)	बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ, पटना (कम्फेड)		20.52
खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन	बिहार सरकार (उद्योग मित्र)		8.56
निर्यात के बुनियादी ढाचा विकास के लिए राज्यों को सहायता (खाद्य विकास केन्द्र)	बिहार राज्य फल एवं सब्जी निगम		3.92
रेशम उद्योग के विकास के लिए उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना		2.83
करतुरबा गाँधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.भी.)	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्		57.17
मॉडल स्कूल	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्		203.53
प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई.जी.ई.एल.)	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्		16.47
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.एम.एस.ए.)	बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद्		137.66
राज्य बजट से बाहर भारत सरकार की कुल निधि		8957.92	8314.38

(स्रोत: वित्त लेखा)

कालश्रृंखला आंकड़े

(संदर्भ: कंडिका 1.3, 1.3.1.1 पृष्ठ 8 एवं 10)

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
खण्ड अ प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	32981	35527	44532	51320	59567
(i) कर राजस्व	6173 (19)	8090 (23)	9870 (22)	12612 (25)	16253(27)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	3016 (49)	3839 (48)	4557 (46)	7476 (59)	8671(53)
राज्य उत्पाद	679 (11)	1082 (13)	1523 (16)	1981 (16)	2430(15)
वाहन पर कर	298 (5)	345 (4)	456 (5)	569 (4)	673(4)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	716 (12)	998 (12)	1099 (11)	1480 (12)	2173(14)
भू-राजस्व	102 (1)	124 (2)	139 (1)	168 (1)	205(1)
माल एवं यात्री कर	1279 (21)	1613 (20)	2006 (20)	828 (7)	1932(12)
अन्य कर	83 (1)	89 (1)	90 (1)	110 (1)	169(1)
(ii) करेतर राजस्व	1153 (3)	1670 (5)	985 (2)	890 (2)	1135(2)
(iii) संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	17693 (54)	18203(51)	23978(54)	27935 (54)	31901(54)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	7962 (24)	7564 (21)	9699 (22)	9883 (19)	10278(17)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	11	13	12	23	25
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	32992	35540	44544	51343	59592
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	5928	6134	6032	6628	9554
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	5778	5370	5251	5801	9046
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	150	764	781	827	508
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन				75	-
7. सचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	38920	41674	50576	58046	69146
8. आकर्षिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	16941	15303	17321	22303	27066
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	55861	56978	67897	80349	96212
खण्ड ब व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	28512	32584	38216	46499	54466
योजना	7280 (26)	8439 (26)	10900 (29)	12487 (27)	16892(31)
गैर-योजना	21232 (74)	24145 (74)	27316 (71)	34012 (73)	37574(69)
सामान्य सेवाएँ (व्याज भुगतान सहित)	10530(37)	12202(37)	15287(40)	17729(38)	18645(34)
सामाजिक सेवाएँ	12252 (43)	13186 (40)	15090 (39)	18729 (40)	23107(43)
आर्थिक सेवाएँ	5726 (20)	7088 (22)	7836 (21)	10038 (22)	12710(23)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	108(1)	3	3	4
12. पूँजीगत व्यय	6436	7332	9196	8852	9585
योजना	6336 (98)	7268 (99)	9150 (99)	8812 (99)	9492(99)
गैर-योजना	100 (2)	64 (1)	46 (1)	40 (1)	93(1)
सामान्य सेवाएँ	206 (3)	274 (4)	396 (4)	608 (7)	717(7)
सामाजिक सेवाएँ	640 (10)	1123 (15)	1072 (12)	807 (9)	1331(14)
आर्थिक सेवाएँ	5590 (87)	5935 (81)	7728 (84)	7437 (84)	7537(79)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	551	897	1103	1906	2086
14. कुल (11+12+13)	35499	40813	48515	57257	66137
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1682	1983	2190	2922	3070
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट को छोड़कर)	1254	1169	1725	2457	2585
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओभरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-

परिशिष्ट 1.7

(₹ करोड़ में)

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
भारत सरकार से ऋण एवं आग्रह	428	814	465	465	485
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
17. अंतर्राजीय समाशोधन	-	-	-	2	-
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	37181	42796	50705	60181	69207
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संवितरण	17311	15448	16749	21393	24799
21. राज्य सरकार द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	54492	58428	67454	81574	94006
खण्ड स घाटा					
22. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-11)	4469	2943	6316	4821	5101
23. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय आधिक्य (+) (4-14)	(-)2507	(-)5273	(-)3971	(-)5914	(-)6545
24. प्रारंभिक घाटा / प्रारंभिक आधिक्य (23+25)	1246	(-)1588	348	(-)1610	(-)2117
खण्ड द अन्य आँकड़े					
25. व्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	3753	3685	4319	4304	4428
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	4423	4456	4622	14444	17454
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) [®]	142279	164547	198135	246487	294388
28. लंबित राजकोषीय देयता (वर्षान्त)	54977	58690	62858	67812	76503
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्षान्त)	704	859	588	1092	1089
30. अधिकतम दी गई गारंटी (वर्षान्त)	1538	1548	1549	2049	2046
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	78	288	350	380	298
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1016	941	1005	1579	1488
खण्ड ई राजकोषीय स्थिति का सूचक					
I संसाधन संग्रहण					
निजी राजस्व कर/जी.एस.डी.पी.	0.043	0.049	0.050	0.051	0.055
निजी करेतर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.008	0.010	0.005	0.004	0.004
केन्द्रीय स्थानांतरण/जी.एस.डी.पी.	0.124	0.111	0.121	0.113	0.108
II व्यय प्रबंधन					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	0.250	0.248	0.245	0.232	0.225
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.076	1.148	1.089	1.116	1.110
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.803	0.798	0.787	0.812	0.824
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.363	0.350	0.333	0.341	0.370
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.318	0.319	0.343	0.338	0.306
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.181	0.179	0.189	0.155	0.145
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/ कुल व्यय	0.173	0.173	0.181	0.144	0.134
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.031	0.018	0.032	0.020	0.017
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	(-)0.018	(-)0.032	(-)0.020	(-)0.024	(-)0.022
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.009	(-)0.010	0.002	(-)0.007	(-)0.007
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-)1.782	(-)0.558	(-)1.590	(-)0.815	(-)0.779
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/जी.एस.डी.पी.	0.386	0.357	0.317	0.275	0.260
राजकोषीय दायित्व/आर.आर.	1.667	1.652	1.411	1.321	1.284
राजकोषीय दायित्व/राज्य का अपना सरांघन	7.504	6.013	5.791	5.022	4.400

गोपक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक रप-शीर्षक के कुल प्रतिशतता दिखलाते हैं।

@ सरकार द्वारा अपनाइ गई सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आँकड़े

(स्रोत: वित्त तंत्राः)

वित्तीय स्थिति का सार

(संदर्भ: कंडिका 1.9.1, पृष्ठ 24)

(₹ करोड़ में)

31/03/2012 को	देयता	31/03/2013 को
42364.79	आंतरिक ऋण	48825.50
20173.22	ब्याज वाले बाजार ऋण	25937.56
0.68	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.22
21.55	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55
22169.34	अन्य संस्थाओं से ऋण	22866.17
8625.56	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	8648.85
3.91	1984–85 से पूर्व ऋण	3.91
64.12	गैर-योजना ऋण	61.58
8492.61	राज्य योजना के लिए ऋण	8540.01
5.54	केन्द्रीय योजना के लिए ऋण	0.76
16.42	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं हेतु ऋण	(-)0.37
42.96	योजनागत योजनाओं के लिए मद	42.96
350.00	आकस्मिकता निधि	350.00
9561.30	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9345.75
5717.43	जमा	7864.28
2219.29	आरक्षित निधि	2750.17
74.01	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01
16245.42	सरकारी लेखा में आधिक्य	21345.93
4820.68	(i) घटावें चालू वर्ष का राजस्व अधिशेष	5100.51
11424.74	(ii) वर्ष के प्रारंभ में संचित अधिशेष	16245.42
85157.80		99204.49
	परिसम्पत्तियाँ	
62299.88	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय	71884.39
920.82	कंपनियाँ, निगमों आदि के शेयरों में निवेश	941.17
61379.06	अन्य पूँजीगत परिव्यय	70943.22
18525.76	ऋण एवं अग्रिम	20587.01
14730.25	उर्जा परियोजना हेतु ऋण	15811.14
3723.18	अन्य विकास ऋण	4699.99
72.33	सरकारी सेवकों को ऋण तथा विविध ऋण	75.88
1181.18	प्रेषण	1161.67
167.10	अग्रिम	114.89
1474.43	उचंत और विविध शेष	1740.95
1509.45	रोकड़	3715.58
0.00	कोषागार में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
(-)93.15	रिजर्व बैंक में जमा	188.21
206.07	विभागीय रोकड़ शेष	183.25
285.55	स्थायी अग्रिम	338.27
1110.98	उद्दिदष्ट निधियों के साथ रोकड़ शेष निवेश	3005.85
85157.80		99204.49

(स्रोत: वित्त लेखा)

(रुकरोड में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान / विनियोजन का नाम	कुल अनुदान / विनियोजन	व्यय	बचत	प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1	कृषि विभाग	2958.06	2095.58	862.48	29.16
2	2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	969.81	535.97	433.84	44.73
3	3	भवन निर्माण विभाग	1364.44	571.97	792.47	58.08
4	4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	150.89	112.75	38.14	25.28
5	6	निर्वाचन विभाग	72.15	51.27	20.88	28.94
6	8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	83.56	60.16	23.40	28.13
7	9	सहकारिता विभाग	779.34	492.04	287.30	36.86
8	10	ऊर्जा विभाग	6170.07	4483.79	1686.28	27.33
9	12	वित्त विभाग	2971.56	492.68	2478.88	83.42
10	16	पंचायती राज विभाग	3526.75	2591.06	935.69	26.53
11	17	वाणिज्य कर विभाग	137.77	78.01	59.76	43.38
12	20	स्वास्थ्य विभाग	3281.12	2552.33	728.79	22.21
13	25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	250.98	99.80	151.18	60.24
14	27	विधि विभाग	579.44	428.13	151.31	26.11
15	28	बिहार का उच्च न्यायालय	101.79	77.40	24.39	23.96
16	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	601.05	172.23	428.82	71.35
17	33	सामान्य प्रशासन विभाग	391.25	280.62	110.63	28.28
18	35	योजना एवं विकास विभाग	2364.40	537.15	1827.25	77.28
19	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	913.34	587.61	325.73	35.66
20	38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	116.25	88.44	27.81	23.92
21	39	आपदा प्रबंधन विभाग	834.01	346.77	487.24	58.42
22	41	पथ निर्माण विभाग	5000.81	3846.30	1154.51	23.09
23	42	ग्रामीण विकास विभाग	1880.80	1456.39	424.41	22.57
24	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	241.33	144.11	97.23	40.29
25	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1173.13	921.56	251.57	21.44
26	45	गन्ना उद्योग विभाग	141.13	90.61	50.52	35.80
27	47	परिवहन विभाग	46.93	31.61	15.32	32.64
28	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	1670.44	1265.72	404.72	24.23
29	49	जल संसाधन विभाग	3258.02	2440.76	817.26	25.08
30	50	लघु जल संसाधन विभाग	651.31	431.26	220.05	33.79
31	51	समाज कल्याण विभाग	4053.32	2926.83	1126.49	27.79
योग			46734.85	30290.90	16444.36	

(स्रोत: विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2012–13)

(रुपयोग में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	राशि एवं बचत की प्रतिशतता									
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	राशि	प्रतिशतता	राशि	प्रतिशतता	राशि
राजस्व—दत्तमत											
1	2-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	64.55	18.10	62.53	18.99	165.72	40.67	210.59	43.22	426.49	44.31
2	12-वित्त विभाग	35.16	12.83	39.09	10.91	55.64	13.46	122.72	43.27	223.31	31.97
3	20-स्वास्थ्य विभाग	395.61	24.92	278.83	16.79	479.42	23.92	528.85	21.52	569.78	22.26
4	27-विधि विभाग	70.45	26.76	31.32	10.72	130.41	26.37	148.50	26.19	151.31	26.11
5	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	73.16	19.07	120.13	17.17	128.43	23.06	148.70	24.05	72.52	14.96
6	41-पथ निर्माण विभाग	114.75	27.17	274.30	38.78	198.29	33.58	120.06	18.44	109.32	16.45
7	50-लघु जल संसाधन विभाग	70.75	21.92	93.81	28.18	108.29	15.78	291.77	50.39	92.81	25.99
योग		824.43		900.01		1266.20		1571.19		1645.54	
पूँजीगत दत्तमत											
8	3-भवन निर्माण विभाग	53.82	58.81	26.79	29.86	66.52	36.16	292.26	57.49	722.07	69.33
9	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	495.89	73.13	462.89	50.68	268.62	29.99	137.81	31.09	265.47	50.66
10	49-जल संसाधन विभाग	1359.51	55.29	1415.28	52.57	1722.91	56.81	625.86	25.65	672.73	27.47
11	50-लघु जल संसाधन विभाग	60.63	59.44	95.11	57.02	181.26	75.96	110.50	42.42	127.24	43.26
योग		1969.85		2000.07		2239.31		1166.43		1787.51	
महायोग		2794.28		2900.08		3505.51		2737.62		3433.05	

(स्रोत: राज्य के विनियोग लेखा)

वर्ष	अनुदान/विनियोजन की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	(₹ करोड़ में) आधिकार्य की राशि
1977-78	1	24	0.06
1978-79	1	27	0.32
1981-82	2	3, 13	5.12
1982-83	1	22	0.98
1983-84	1	12	9.45
1984-85	2	3, 14	2.63
1986-87	1	13	65.63
1987-88	3	9, 19, 38	15.53
1988-89	2	9, 38	6.59
1989-90	3	25, 27, 38	99.40
1990-91	2	37, 38	47.55
1991-92	2	6, 38	71.24
1992-93	1	38	87.77
1993-94	2	25, 37	157.68
1994-95	1	37	170.61
1995-96	2	25, 37	213.22
1996-97	2	23, 37	21.16
1997-98	1	7	0.01
1998-99	1	30	0.33
1999-00	1	40	0.01
2003-04	3	11, 30, 50	81.23
2004-05	3	19, 20, 21	5.62
2005-06	2	39, 40	294.50
2007-08	1	17	1.04
2008-09	2	17, 28	8.91
2010-11	1	5	0.35
कुल			1366.94

(संदर्भ: कड़िका 2.3.4, पृष्ठ 45)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
आ_ राजस्व (भारित)					
1	13—ब्याज भुगतान	5186.00	4632.85	553.15	3.65
2	28—बिहार का उच्च न्यायालय	98.02	77.40	20.62	3.77
3	32—विधान मंडल	0.55	0.52	0.03	0.12
4	33—सामान्य प्रशासन विभाग	3.80	3.41	0.39	0.14
योग— भारित		5288.37	4714.18	574.19	7.68
आ_ राजस्व (दत्तमत)					
1	3—भवन निर्माण विभाग	317.26	252.56	64.70	5.71
2	4—मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग	116.08	86.00	30.08	1.10
3	6—निर्वाचन विभाग	71.77	51.27	20.50	0.38
4	7—निगरानी विभाग	24.31	22.38	1.93	0.30
5	8—कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	73.38	60.16	13.22	10.18
6	12—वित्त विभाग	375.38	220.30	155.08	25.18
7	16—पंचायती राज विभाग	2906.41	2591.06	315.35	370.34
8	17—वाणिज्य कर विभाग	87.77	78.01	9.76	50.01
9	19—वन एवं पर्यावरण विभाग	189.48	168.83	20.65	5.07
10	20—स्वास्थ्य विभाग	2553.09	1989.44	563.65	6.13
11	21—शिक्षा विभाग	14814.12	13978.82	835.30	1948.56
12	22—गृह विभाग	3996.75	3569.83	426.92	19.49
13	23—उद्योग विभाग	488.32	457.27	31.05	38.28
14	26—श्रम संसाधन विभाग	192.39	178.48	13.91	2.89
15	27—विधि विभाग	574.42	428.13	146.29	5.01
16	29—खनन एवं भूगर्भ विभाग	15.99	12.68	3.31	1.00
17	30— अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	148.91	57.79	91.12	1.54
18	31— संसदीय कार्य विभाग	1.49	1.34	0.15	0.11
19	32— विधान मंडल	105.72	99.56	6.16	5.65
20	33— सामान्य प्रशासन विभाग	374.17	277.21	96.96	13.14
21	35—योजना एवं विकास विभाग	817.04	151.13	665.91	2.34
22	36—लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	334.51	329.10	5.41	54.85
23	38—निबंधन, उत्पाद एवं मद्य—निषेध विभाग	114.67	88.44	26.23	1.59
24	39—आपदा प्रबंधन विभाग	818.83	346.46	472.37	12.18
25	40— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	446.82	412.26	34.56	37.96
26	42— ग्रामीण विकास विभाग	1741.33	1453.36	287.97	134.48
27	44— अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1001.88	920.56	81.32	170.25
28	45— गन्ना उद्योग विभाग	114.93	81.66	33.27	3.62
29	47— परिवहन विभाग	32.07	26.61	5.46	1.17
30	48— नगर विकास एवं आवास विभाग	1551.86	1263.72	288.14	116.57
31	49— जल संसाधन विभाग	806.79	664.70	142.09	2.44
32	50— लघु जल संसाधन विभाग	356.51	264.36	92.15	0.66
33	51— सामाज कल्याण विभाग	3353.31	2926.83	426.48	465.56
योग राजस्व (दत्तमत)		38917.76	33510.31	5407.45	3513.74
योग राजस्व (दत्तमत+ भारित)		44206.13	38224.49	5981.64	3521.42

परिशिष्ट 2.4

क्रम सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
ब. पूँजीगत (दत्तमत)					
1	3— भवन निर्माण विभाग	669.44	319.40	350.04	372.03
2	10— उर्जा विभाग	2056.21	1257.98	798.23	797.94
3	12— वित्त विभाग	22.00	17.43	4.57	2250.99
4	22— गृह विभाग	513.09	327.02	186.07	102.37
5	30— अत्पसंख्यक कल्याण विभाग	435.60	114.44	321.16	15.00
6	35— योजना एवं विकास विभाग	1219.98	386.03	833.95	325.05
7	36— लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	365.78	258.51	107.27	158.20
8	40— राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	44.22	17.48	26.74	4.00
9	41— पथ निर्माण विभाग	3810.63	3291.11	519.52	525.68
10	49— जल संसाधन विभाग	2150.47	1776.06	374.41	298.32
11	50— लघु जल संसाधन विभाग	278.56	166.91	111.65	15.59
योग पूँजीगत (दत्तमत)		11543.98	7932.37	3633.61	4865.17
महायोग		55750.11	46156.86	9615.25	11912.58

(स्रोत: विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	(₹ करोड़ में) अंतिम बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2401–00–001–0001–निदेशन	8.43	0.22	7.96	0.36	0.33
2		2402–00–102–0004–क्षेत्रीय स्थापना	2.40	0.42	2.41	0.36	0.05
3		2415–01–277–0006–सेवा अवधि में प्रशिक्षण प्रसार एवं शिक्षा परिषद की योजना	1.97	0.08	1.93	0.11	0.01
4	3	2059–80–052–0001–नई आपूर्ति एवं मरम्मत	0.50	0.95	0.62	0.78	0.05
5	6	2015–00–102–0001–मुख्यालय प्रभार तथा सामान्य स्थापना	13.98	2.40	14.11	2.15	0.12
6	10	2059–80–001–0010–विद्युत निषादन	21.67	1.44	21.01	1.84	0.26
7	12	7610–00–201–0001–सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम	7.00	0.50	7.33	0.05	0.12
8		7610–00–202–0001–सरकारी सेवकों को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	4.00	1.50	4.53	0.48	0.49
9	16	2015–00–101–0001–राज्य निर्वाचन आयोग (पंचायती राज)	1.68	0.27	1.78	0.14	0.03
10		2515–00–003–0001–पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क) पंचायत	2.56	0.10	2.09	0.40	0.17
11	19	2406–01–003–0001–प्रशिक्षण, जन–सम्पर्क एवं शोध हेतु	0.99	0.47	1.20	0.05	0.21
12		2406–01–101–0002–कार्य योजना प्रमण्डल	1.26	0.20	1.13	0.23	0.10
13	20	2210–01–001–0002–जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी	25.10	3.34	24.10	1.72	2.62
14		2210–05–105–0007–मगध चिकित्सा महाविद्यालय,	18.57	2.60	12.45	6.12	2.60
15		2210–05–105–0023–सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	8.73	4.60	8.41	4.50	0.42
16		2210–06–001–0001–अधीक्षक	5.98	0.14	4.87	0.67	0.58
17		2210–06–003–0002–लोक स्वास्थ्य संस्थान	10.32	1.05	10.07	1.15	0.15
18		2210–06–101–0002–राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	16.21	2.93	17.67	1.00	0.47
19		2210–06–102–0001–लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम–खाद्य मिलावट रोकथाम	1.78	0.77	1.94	0.43	0.18
20		2210–06–104–0001–औषधि नियंत्रण स्थापना	10.91	0.01	8.24	1.47	1.21

परिशिष्ट 2.5

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
21	21	2202-01-001-0105—शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक योजना एवं महोत्सव	5.00	3.29	8.28	0.00	0.01
22		2202-01-109-0004—प्रोत्साहन के लिए विद्यालय में सामाजिक उत्सव	0.00	27.89	27.88	0.00	0.01
23		2202-02-001-0002—जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	24.78	2.00	24.67	0.46	1.65
24		2202-02-001-0003—क्षेत्रीय उप-निदेशक एवं अन्य पदाधिकारी	4.50	0.30	4.18	0.38	0.24
25		2202-02-001-0101—माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	13.25	0.94	2.27	10.00	1.92
26		2202-02-107-0105—मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	152.0 8	15.96	130.78	26.81	10.44
27		2202-02-789-0101—मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	28.00	2.15	22.95	6.03	1.17
28		2202-02-789-0102—मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	24.00	3.77	19.72	6.96	1.09
29		2202-03-103-0001—इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा)	30.86	3.48	32.33	0.28	1.72
30		2202-03-103-0004—शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	1.58	1.50	2.57	0.39	0.12
31		2202-03-107-0104—मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना	0.00	55.00	27.48	8.81	18.71
32		2202-04-200-0001—जिला जन शिक्षा कार्यालय	5.19	0.37	4.89	0.00	0.67
33		2202-80-001-0002—राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान	0.53	0.05	0.45	0.00	0.13
34		2202-80-004-0003—जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	0.77	0.27	0.66	0.03	0.35
35		2202-80-004-0007—के.पी. जायसवाल शोध संस्थान, पटना	1.17	0.34	1.39	0.09	0.03
36		2202-80-004-0009—हिन्दी ग्रंथ अकादमी (सहायक अनुदान)	0.80	0.38	0.80	0.00	0.38
37		2251-00-090-0002—माध्यमिक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग	4.47	0.12	4.18	0.25	0.16
38	22	2055-00-001-0001—अधीक्षक	28.25	1.85	23.62	6.11	0.37
39		2055-00-101-0001—अपराधिक जाँच विभाग	92.72	23.49	102.96	8.55	4.70
40		2055-00-101-0003—भारत—नेपाल सीमा पर जाँच चौकी	5.71	0.50	5.70	0.06	0.45
41		2056-00-102-0001—केन्द्रीय कारा गृह	10.50	2.19	12.58	0.06	0.05
42	23	2851-00-103-0103—हस्त—करघा विकास योजना	19.21	1.07	18.80	1.28	0.20

परिशिष्ट 2.5

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजना	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
43	26	2230-01-101-0106-बिहार बाल श्रम आयोग की स्थापना	1.02	0.08	0.99	0.08	0.03
44		2230-01-114-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पूनर्वापसी पर व्यय	1.25	0.38	1.54	0.01	0.08
45		2230-03-003-0107-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास	0.50	0.30	0.61	0.12	0.07
46		2230-03-003-0118-नया औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	5.00	1.01	5.57	0.28	0.16
47	30	2053-00-094-0010-अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय	0.00	0.22	0.15	0.00	0.07
48	32	2011-02-101-0006-विराधी दल का नेता	0.50	0.04	0.45	0.06	0.03
49		2011-02-103-0001-विधान सभा सचिवालय	23.14	0.07	20.84	2.33	0.04
50		2011-02-103-0002-विधान परिषद् सचिवालय	30.03	0.47	29.37	0.36	0.77
51	33	2053-00-101-0001-मुख्य कार्यालय	18.54	0.44	15.32	2.47	1.19
52	35	3454-02-204-0002-राज्य सांस्थिकी संगठन	14.30	1.52	13.52	2.21	0.09
53		4070-00-051-0107-मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम	520.05	122.95	89.01	552.78	1.21
54	36	2215-01-101-0004-नगर निगम जलापूर्ति योजना	50.13	5.21	47.45	7.89	0.00
55	39	2245-02-101-0005-आग लगने से राहत कार्य के लिए नगद भुगतान	5.00	1.50	3.33	2.40	0.77
56	42	2216-03-789-0102-इन्दिरा आवास योजना	361.04	22.64	293.85	37.69	52.14
57		2505-60-105-0102-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	254.10	10.00	264.04	0.00	0.06
58	43	2203-00-001-0001-तकनीकी शिक्षा निदेशालय	2.79	0.04	2.35	0.41	0.07
59		2203-00-001-0002-राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड	0.93	0.13	1.02	0.01	0.03
60		2203-00-112-0001-स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	19.64	0.54	18.51	1.55	0.12
61	49	2700-01-001-0001-स्थापना	55.23	0.03	46.23	8.89	0.14
62		2700-03-101-0002-अन्य रख-रखाव पर व्यय	25.00	5.57	27.46	3.03	0.08
63		2711-03-001-0001-क्षेत्रीय स्थापना	24.78	0.25	22.17	2.37	0.50
64		3451-00-090-0009-जल संसाधन विभाग	12.54	1.05	12.18	1.27	0.14
65		4700-80-005-0101-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान (स्थापना)	0.25	0.78	0.48	0.02	0.53

परिशिष्ट 2.5

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजना	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	आंतिम बचत
66	49	4701-03-789-0101—सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ	35.67	2.50	33.46	4.03	0.68
67		4711-01-789-0101—उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ	201.00	6.75	200.95	6.09	0.71
योग			2279.85	355.37	1783.83	736.91	114.46

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, अनुदान पंजी, बिहार सरकार, 2012-13)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनियोजन	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
1	1	2401-00-109-0001-प्रमंडलीय जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	124.11	105.33	7.11	10.88	0.79
2		3475-00-106-0001-माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना	9.87	7.08	0.58	2.12	0.09
3	3	2059-80-001-0004-निष्पादन	98.67	77.80	0.70	17.59	2.58
4		2059-80-053-0001-रख-रखाव तथा मरम्मत	115.00	95.41	2.05	17.08	0.46
5		4059-80-051-0105-न्यायिक भवन हेतु (11वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग के लिए)	67.79	35.71	19.54	12.47	0.07
6		2015-00-108-0001-मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय	12.10	3.15	2.40	6.40	0.15
7	12	7610-00-202-0004-विधान मंडल के सदस्यों को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	7.00	2.44	1.50	2.66	0.40
8	15	2071-01-101-0001-15 नवम्बर 2000 के पूर्व के पेशन पानेवालों को भुगतान	4928.44	744.43	500.00	0.00	3684.03
9	16	2515-00-198-0001-पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	926.98	741.38	3.86	117.16	64.58
10		2515-00-198-0009-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	514.66	502.84	1.14	0.00	10.68
11		2515-00-198-0010-ग्राम कवहरी के विभिन्न मर्दाँ हेतु	45.59	37.62	1.00	2.31	4.66
12	19	2406-01-070-0001-सङ्केत एवं पुल	1.10	1.03	0.02	0.00	0.05
13		2406-01-070-0002-भवन	1.30	0.98	0.11	0.01	0.20
14		2406-01-800-0101-नहर तट फार्म	18.63	12.99	2.55	3.00	0.09
15		2406-02-110-0003-अभ्यारण्य	4.22	3.78	0.22	0.07	0.15
16	20	2210-01-200-0001-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ (यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम)	37.34	33.79	0.08	1.06	2.41
17		2210-01-200-0002-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ (कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम)	54.71	38.21	2.94	8.07	5.49
18		2210-01-200-0005-अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ (स्थानीय औषधालय)	17.53	10.93	0.97	5.38	0.25
19	21	2202-01-101-0001-सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	4307.48	3925.21	27.89	52.86	301.52

परिशिष्ट 2.6

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजना	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
20	21	2202-01-191-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	14.29	12.05	1.03	0.51	0.70
21		2202-01-192-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	68.40	11.24	14.33	26.78	16.05
22		2202-01-193-0001-नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	27.00	10.07	0.62	8.88	7.43
23		2202-01-198-0002-पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	104.82	76.61	1.00	17.10	10.11
24		2202-02-107-0106-मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	181.98	133.39	19.45	26.15	2.99
25		2202-02-107-0107-मुख्यमंत्री बालिका पोषाक योजना	220.00	103.46	55.00	43.74	17.80
26		2202-02-191-0001-नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	7.00	3.64	1.00	0.20	2.16
27		2202-02-192-0001- नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	7.00	4.43	1.00	0.20	1.37
28		2202-02-193-0001- नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	8.50	5.80	1.50	0.36	0.74
29		2202-02-193-0002-नगर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	4.10	2.97	0.36	0.05	0.72
30		2202-02-196-0001-जिला परिषद् माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान हेतु	144.00	93.91	24.00	5.25	20.84
31		2202-02-196-0002-जिला परिषद् उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान हेतु	35.00	23.83	6.00	1.02	4.15
32		2202-05-103-0002-राजकीय संस्कृत विद्यालय	3.38	1.96	0.77	0.59	0.06
33	22	2055-00-109-0005-विशेष सहायता पुलिस	163.40	113.01	27.03	23.12	0.24
34		2055-00-114-0001-संकेत	58.11	48.83	4.67	3.30	1.31
35		2056-00-101-0003-उप-कारा	20.16	14.05	2.20	3.70	0.21
36		4070-00-052-0101-जेलों के संयंत्रों हेतु	20.00	6.30	5.00	8.67	0.03
37	23	2851-00-107-0101-पिछड़े वर्गों के लिए विषेश अंगीभूत योजना-रेशमपालन हेतु	14.52	10.98	1.07	2.15	0.32
38	26	2230-01-101-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु परिवर्तनतंत्र का सुदृढ़ीकरण	1.00	0.37	0.24	0.34	0.05
39		2230-01-102-0002-कारखानों के निरीक्षक	4.17	3.02	0.35	0.79	0.01
40		2230-01-103-0103-बाल श्रमिक यंत्र पुनर्वास तंत्र का सुदृढ़ीकरण	1.75	0.75	0.43	0.53	0.04

परिशिष्ट 2.6

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजना	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
41	26	2230-03-003-0109-मशीनों का आधुनिकीकरण	4.00	2.84	1.00	0.07	0.09
42	27	2014-00-105-0001-सिविल एवं सत्र न्यायालय	420.62	355.63	3.00	52.98	9.01
43	30	2251-00-090-0011-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	2.14	1.53	0.22	0.36	0.03
44	32	2011-02-101-0005-सदस्यगण	38.30	34.22	0.11	3.96	0.01
45		2011-02-102-0006-सदस्यगण	11.13	8.50	0.60	1.61	0.42
46	33	2053-00-094-0001-अनुमण्डलीय स्थापना	84.10	58.47	0.44	16.06	9.13
47	35	3454-02-204-0001-प्रखण्ड स्तर पर सांख्यिकी यंत्र	7.61	4.85	1.52	1.21	0.03
48		4070-00-051-0111-मूल्यांकन कार्यालय के कार्य	491.84	0.00	122.95	367.73	1.16
49	36	2215-01-102-0002-हाथ वाले नलकूप टैंक तथा उच्च धारा वाले नलकूप	124.45	102.38	5.97	15.61	0.49
50	38	2039-00-001-0002-जिला प्रभार	61.31	38.97	0.03	21.54	0.77
51	39	2070-00-106-0004-प्रशिक्षण	0.63	0.44	0.03	0.09	0.07
52		2245-02-101-0006-आग लगने से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए अनुदान	15.00	1.99	1.50	10.67	0.84
53	40	2029-00-104-0001-राजस्व प्रशासन पर व्यय	359.23	321.66	0.11	32.94	4.52
54	41	3054-80-001-0002-पर्यवेक्षण	219.40	170.30	0.11	46.36	2.63
55	43	2203-00-105-0001-प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	24.53	22.58	0.76	0.84	0.35
56		4202-02-105-0102-पोलिटैक्निक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	17.51	13.28	0.50	2.72	1.01
57	49	2700-02-101-0002-अन्य रख-रखाव पर व्यय	21.60	17.38	1.15	2.48	0.59
58		2700-03-001-0001-स्थापना	161.49	149.02	0.39	11.97	0.11
59		2701-04-101-0002-अन्य रख-रखाव पर व्यय	12.00	6.59	1.30	3.61	0.50
60		4700-01-789-0101- कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं	12.00	0.01	3.00	8.77	0.13
61		4700-02-789-0101-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं	15.00	3.52	3.75	7.48	0.25

परिशिष्ट 2.6

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	पुनर्विनि-योजना	अन्यर्पण	अंतिम बचत
62	49	4701-04-051-0101- क्यूल-बदुआ— चान्दन—बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	2.00	0.02	0.50	0.64	0.84
63		4701-04-789-0101- क्यूल-बदुआ— चान्दन—बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ	35.30	15.65	8.75	8.01	2.89
64		4711-01-051-0106- जर्मीदारी बांध	16.30	14.53	0.78	0.01	0.98
65		4711-01-789-0102- जल निस्सरण परियोजना (कार्य)	10.00	4.61	2.50	2.73	0.16
योग			14568.59	8409.75	902.68	1053.00	4202.53

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, (अनुदान पंजी को मिलाकर) बिहार सरकार, 2012-13)

(संदर्भ: कंडिका 2.3.6, पृष्ठ 34)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
1	01-कृषि विभाग	2401-00-105-0105-राष्ट्रीय उर्वरता प्रबंधन परियोजना	8.30	2.33	5.97	0.00	71.93
2		2401-00-108-0615-तेलहन, दलहन, पास तेल एवं मक्का (आई.एस.ओ.पी.ओ.एम.75:25) नई सेवाओं के लिए एकीकृत योजना	23.13	9.56	13.29	0.28	57.46
3		2401-00-109-0103-बाढ़ एवं सूखा के लिए आपातकालिन परियोजना	619.75	135.25	447.17	37.33	72.15
4		4401-00-051-0101-कृषि कार्यालय के भवन की स्थापना	70.00	24.81	45.19	0.00	64.56
5	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-101-0101-अस्पताल, औषधालय एवं गैर स्थापना	105.08	8.03	96.96	0.09	92.27
6		2403-00-103-0106-मुर्गी पालन के लिए रेंज योजना, केन्द्रीय मुर्गी पालन विकास एवं मुर्गी खादान का उत्पादन एवं वितरण	61.50	0.42	60.72	0.36	98.73
7		2403-00-104-0102-अवी एवं आजा का पोषाहार एवं विकास	83.40	0.11	83.29	0.00	99.87
8		2403-00-106-0607-पशुओं की बीमारी के नियंत्रण एवं रोकथाम की योजना	20.81	7.00	13.81	0.00	66.36
9		2405-00-001-0102-मत्स्य प्रसार	10.10	1.43	8.65	0.01	95.54
10		3454-01-001-0602-पशु जनगणना	22.71	7.16	13.55	2.00	59.67
11		4047-00-051-0105-कोषागार कार्यालयों में अतिरिक्त संसाधन अधिष्ठापन	19.00	3.83	12.46	2.71	65.58
12		4059-01-051-0115-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का भवन	86.79	1.38	85.41	0.00	98.41
13		4059-01-051-0117-प्रखंडों के लिए भवन	75.00	2.80	68.19	4.01	90.92
14		4059-60-051-0113-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण (वित्त आयोग के अनुशासा के आलोक में)	20.00	4.15	15.85	0.00	79.25
15		4408-02-101-0101-खाद्य संग्रहण एवं भंडारण	297.16	34.72	254.37	8.07	85.60

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
	04-मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग	2070-00-114-0001-सरकारी विमानों का रख रखाव	24.00	9.12	14.87	0.01	61.96
17	06-निर्वाचन विभाग	2015-00-108-0001-मतदाताओं को पहचान-पत्र निर्गत करने पर व्यय	12.10	3.14	8.80	0.16	72.73
18	08-कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	2204-00-104-0102-खेलकूद	11.25	4.88	6.34	0.03	56.36
19	10-उर्जा विभाग	2801-80-190-0002-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना	87.89	11.17	76.72	0.00	87.29
20		2810-60-600-0101-गैर परंपरागत उर्जा स्त्रीतों को सहायता अनुदान	13.68	3.59	10.09	0.00	73.76
21		4801-05-190-0101-पिछळा क्षेत्र विकास कोष योजना	858.88	173.63	685.25	0.00	79.78
22		6801-00-190-0003-बिहार विद्युत बोर्ड को ऋण	20.69	2.22	18.47	0.0	89.27
23		6801-00-190-0101-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का सरंचना एवं वितरण	60.00	14.42	45.58	0.00	75.97
24		6801-00-190-0104-बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण	788.71	281.12	507.59	0.00	64.36
25		6801-00-190-0110-बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण	53.82	26.41	27.41	0.00	50.92
26		6801-00-201-0101-बिहार राज्य जल विद्युत निगम	58.00	12.00	46.00	0.00	79.31
27	12-वित्त विभाग	2054-00-095-0103-बिहार राजस्व प्रशासन इंट्रानेट (ब्रेन प्रोजेक्ट सम्पोषित)	25.40	4.78	20.59	0.03	81.06
28		2515-00-102-0114-बिहार ग्रामीण जीवीकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	129.83	58.64	71.19	0.00	54.83
29		2515-00-789-0101- राज्य ग्रामीण जीवीकोपार्जन योजना (विश्व बैंक)	69.08	32.61	36.47	0.00	52.79
30	14-ऋणों का पुनर्भुगतान	6003-00-108-0001-सहकारिता विभाग	14.75	5.75	9.00	0.00	61.02
31	17-वाणिज्य कर विभाग	2040-00-001-0005-मिशन मोड प्रोजेक्ट	10.45	1.30	9.14	0.01	87.46
32	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-001-0002-जिला प्रभार	46.91	4.34	42.59	0.03	90.79
33		3456-00-193-0101-निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	7.25	0.00	7.13	0.12	98.34

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
34	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-110-0016-मानसिक अस्पताल	13.00	2.00	11.00	0.00	84.62
35		2210-05-105-0010-भागलपुर मेडिकल कॉलेज	19.99	6.94	13.05	0.00	65.28
36		2210-05-105-0024-राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा	7.32	0.63	6.69	0.00	91.39
37	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-03-105-0108-स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम ई.ए.पी.	140.00	46.20	93.80	0.00	67.00
38	21-शिक्षा विभाग	2202-01-107-0601-प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	174.31	1.55	172.59	0.17	99.01
39		2202-01-192-0001-नगर शिक्षकों को समेकित भुगतान	68.40	11.25	41.10	16.05	60.09
40		2202-02-001-0101-माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	13.25	2.27	9.06	1.92	68.38
41		2202-02-109-0607-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	735.77	15.65	536.18	183.94	72.87
42		2202-03-102-0118- राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन संस्थान हेतु	15.00	4.00	11.00	0.00	73.33
43		2202-80-004-0121-बिहार राजभाषा अकादमी	10.00	0.45	9.55	0.00	95.50
44		2055-00-109-0006-एस.आर, ई योजना के अंतर्गत उग्रवाद प्रभावित थानों/ओ.पी. का सुदृढ़ीकरण	21.00	5.77	15.23	0.00	72.52
45	22-गृह विभाग	2055-00-109-0009-एस.आर, ई. योजना के अंतर्गत प्रभावित जिलों में आपातकाल के दौरान भाड़े पर लिए गए मोटरकार/हॉलीकॉप्टर /संचार साधन	13.00	0.08	12.92	0.00	99.38
46		2055-00-115-0001-पुलिस बल के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि	36.00	14.53	21.47	0.00	59.64
47		2070-00-003-0005-होम गार्डी का त्वरित प्रशिक्षण	12.00	4.05	7.95	0.00	66.25
48		4055-00-789-0101-पुलिस भवन का निर्माण एवं रख-रखाव	80.00	0.00	79.28	0.72	99.10
49		4070-00-051-0101-बिहार अग्निशामन सेवा के लिए भवन निर्माण	15.39	7.03	8.36	0.00	54.32
50		4070-00-052-0101- काराओं के संयंत्रों हेतु	20.00	6.30	13.67	0.03	68.35
51	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2852-07-202-0106-ज्ञान सिटी परियोजना	40.00	6.49	33.51	0.00	83.77
52		2852-07-202-0108-स्टेट डाटा सेन्टर	17.72	7.71	10.01	0.00	56.49
53		2852-07-202-0109-ई-शासन, राज्य योजना	65.00	30.91	34.09	0.00	52.45

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
54	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	3451-00-090-0118-सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	20.00	6.72	11.86	1.42	59.30
55		4859-02-004-0101-बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान)	45.00	18.81	26.19	0.00	58.20
56	27-विधि विभाग	2014-00-105-0701-जिला एवं सत्र न्यायालय	30.83	8.12	22.70	0.00	73.63
57		2014-00-106-0001-वित्त आयोग की अनुशंसा पर सुबह-शाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं शिफ्ट न्यायालयों का गठन	42.86	1.79	41.06	0.01	95.80
58		2014-00-114-0002-गरीबों को न्यायिक सहायता	16.52	7.28	9.24	0.00	55.93
59		2202-02-107-0103-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	15.00	3.50	11.50	0.00	76.67
60	30-अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	4225-80-051-0101-आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं अन्य भवनों का उन्नयन एवं निर्माण	26.75	7.20	19.55	0.00	73.08
61		2051-00-103-0001-बिहार कर्मचारी चयन आयोग	23.40	3.61	19.64	0.15	83.93
62		2053-00-093-0105-वित्त आयोग राजकीय नवाचर निधि	19.00	6.13	12.00	0.87	63.16
63		3451-00-101-0101-बिहार राज्य योजना बोर्ड	411.39	0.02	411.37	0.00	99.99
64		3454-02-204-0401-आर्थिक जनगणना	10.00	0.02	9.98	0.00	99.80
65		3454-02-205-0101-समग्र सांख्यिकी विकास योजना	77.40	4.12	71.63	1.65	92.55
66		4070-00-051-0107-मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	520.05	89.01	429.83	1.21	82.65
67		4070-00-051-0109-जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में योजनातंत्र का सुदृढ़ीकरण	9.00	1.13	7.87	0.0	87.44
68		4070-00-051-0111-मूल्यांकन कार्यालय के लिए कार्य	491.84	0.00	490.67	1.17	99.76
69	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-102-0101-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	21.25	5.71	15.54	0.00	73.13
70		4215-01-102-0116-ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की जलापूर्ति के लिए संरचनाओं के विकास के लिए नाबाड़ से ऋण	67.00	3.10	63.87	0.03	95.33

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
71	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-102-0117-ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना मूलभूत आवश्यकता कार्यक्रम	11.70	5.48	6.22	0.00	53.16
72		4215-01-102-0119-निदेशन, प्रशासन और स्थापना	10.00	2.91	7.09	0.00	70.90
73		4215-01-789-0101-आच्छादित, आंशिक आच्छादित, जल गुणवत्ता प्रभावितों को अच्छादन हेतु जलापूर्ति का निर्माण	16.00	3.02	12.98	0.00	81.13
74		4215-01-789-0111-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	35.23	9.20	26.03	0.00	73.89
75		4215-02-106-0104-शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति हेतु स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण	21.57	9.44	12.10	0.03	56.10
76		2245-02-101-0001-निःसहायो एवं विकलांग व्यक्तियों को नकद भुगतान	30.00	1.96	27.64	0.40	92.13
77		2245-02-101-0002-खाद्यानों की आपूर्ति	100.00	1.06	96.40	2.54	96.40
78		2245-02-101-0004-प्रभावित व्यक्तियों को वर्तनों एवं कपड़ों का निःशुल्क वितरण	10.00	0.81	9.19	0.00	91.90
79		2245-02-101-0006-आग से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए अनुदान	15.00	1.99	12.17	0.84	81.13
80		2245-02-101-0007-आग से क्षतिग्रस्त कपड़ों के लिए अनुदान	10.00	3.00	5.77	1.23	57.70
81		2245-02-106-0001-क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुलों की मरम्मति एवं संवर्धन	20.00	2.25	17.75	0.00	88.75
82		2245-02-112-0002-जनसंख्या का निष्क्रमण	50.00	10.25	35.35	4.40	70.70
83		2245-02-112-0104-संवाद यंत्रों का क्रय	9.10	1.00	8.01	0.09	88.02
84		2245-80-102-0104-राज्य आपदा रिस्पोन्स कोर्स	16.00	2.91	13.09	0.00	81.81
85		2245-80-102-0105-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	5.65	0.58	5.07	0.00	89.73
86	40-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2029-00-001-0102-होल्डिंग का एकीकृतकरण	20.18	9.35	10.59	0.24	52.48
87		4047-00-050-0104-सड़क निर्माण के लिए भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	13.06	3.94	8.40	0.72	64.32
88		4047-00-789-0101-भूमि अधिग्रहण	32.86	12.33	20.50	0.03	62.39

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
89	41-पथ निर्माण विभाग	3054-80-001-0006-राष्ट्रीय हाईवे परियोजना—निर्देशन	50.00	0.00	29.28	20.72	58.56
90		5054-03-101-0104-मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना	400.00	153.14	239.16	7.70	59.79
91		5054-03-337-0109-बाजार एवं पार्श्ववर्ती क्षेत्रों से जोड़े जाने हेतु सड़कों एवं पुलों का निर्माण (बिहार व्यापार विकास निधि से)	100.00	44.66	50.00	5.34	50.00
92		5054-03-789-0101-मुख्य सड़क	225.00	56.64	145.00	23.36	64.44
93	42-ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0101-बी.पी.एल. कार्य	120.00	39.60	80.40	0.00	67.00
94		2501-01-001-0104-निगरानी प्रोसेसिंग पुनः अभियांत्रिकी	10.00	1.13	8.87	0.00	88.70
95		2501-06-789-0101-स्वर्ण जर्याति ग्राम स्वरोजगार योजना	69.60	15.47	53.40	0.73	76.72
96	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-277-0613-पोस्ट प्रवेश छात्रवृत्ति	30.00	9.82	19.99	0.19	66.63
97	45-गन्ना उद्योग विभाग	2401-00-789-0108-गन्ना विकास	11.40	4.08	7.31	0.01	64.12
98		6860-04-190-0001-चीनी मिलों को ऋण	22.58	8.95	13.63	0.00	60.36
99	48-नगर विकास एवं आवास विभाग	2015-00-109-0001-नगर निगम, नगर परिषद एवं पंचायतों का चुनाव	40.00	15.26	24.71	0.03	61.77
100		2217-01-191-0107-शहरी समेकित विकास हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	22.37	0.00	21.25	1.12	94.99
101		2217-03-191-0107-शहरी समेकित विकास हेतु शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	22.37	0.00	16.36	6.01	73.17
102		3475-00-108-0101-स्वर्ण जर्याति शहरी रोजगार योजना को सहायता अनुदान	92.83	35.81	51.02	6.00	54.96
103	49-जल संसाधन विभाग	4700-01-789-0101-कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएं	12.00	0.10	11.77	0.13	98.08
104		4700-02-789-0101-गंडक बेसिन के लिए सिंचाई परियोजना	15.00	3.52	11.23	0.25	74.87

परिशिष्ट 2.7

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखाओं का शीर्ष)	कुल प्रावधान	व्यय	अभ्यर्पित राशि	बचत	प्रतिशतता
105	49-जल संसाधन विभाग	4700-04-051-0103- क्यूल-बदुआ-चांदन बेसीन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य) (नाबाड़ सम्पोषित योजना)	19.75	6.91	11.38	1.46	57.62
106		4700-80-051-0101-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान	283.29	120.44	153.43	9.42	54.16
107		4701-03-051-0103-सोन बेसीन (कार्य) नाबाड़ के लिए सिंचाई परियोजना	27.62	5.81	21.64	0.17	78.35
108		4701-04-051-0103- किउल-बदुआ-चांदन-बेसीन (कार्य) नाबाड़ के लिए सिंचाई परियोजना	23.87	7.73	16.11	0.03	67.49
109		4711-01-051-0104-बाढ़ नियंत्रण बांध सड़क परियोजना (कार्य) (नाबाड़)	73.09	11.58	58.38	3.13	79.87
110		4711-01-789-0102- निकासी परियोजना (कार्य)	10.00	4.62	5.22	0.16	52.2
111	50-लघु जल संसाधन विभाग	2702-02-005-0002-लिफट सिंचाई योजना का रख-रखाव	7.00	0.76	5.07	1.17	72.43
112		2702-03-101-0002-अन्य रख-रखाव व्यय	7.00	1.63	5.10	0.27	72.86
113		2702-03-102-0005- अन्य रख-रखाव व्यय	13.45	0.72	11.89	0.84	88.40
114		2702-03-103-0104-निजी नलकूपों	23.52	10.35	13.11	0.06	55.74
115		4702-00-101-0101-लघु सिंचाई	88.24	34.12	53.24	0.88	60.34
116		4702-00-789-0101-लघु सिंचाई परियोजना	16.15	3.38	9.66	3.11	59.81
117	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-102-0615- एकीकृत बाल सुरक्षा योजना	34.15	8.72	25.43	0.00	74.46
118		2235-02-102-0618-आर. जी.एस.ई.ए.जी. “सबला”	104.58	30.33	74.07	0.18	70.83
119		2235-02-103-0111-कन्या सुरक्षा योजना	52.00	6.56	42.00	3.44	80.77
योग			9633.07	1955.50	7306.58	371.02	

(स्त्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012-13)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
1	01-कृषि विभाग	2401-00-103-0614-समेकित अन्न विकास कार्यक्रम (मैक्रोमोड 90:10)	12.00
2		2401-00-103-0104- समेकित अन्न विकास कार्यक्रम (मैक्रोमोड 10:90)	2.00
3		2401-00-107-0408-भारत में कीट प्रबंधन का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	0.23
4		2401-00-107-0602-समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम (मैक्रोमोड 90:10)	3.60
5		2401-00-107-0104-समेकित कीट प्रबंधन कार्यक्रम (मौकोमोड)	0.40
6		2401-00-109-0114-एग्री बिजेस के आधारभूत संरचना के विकास परियोजना (ई.ए.पी.)	10.00
7		2401-00-109-0115-कॉपर कृषि रोड मैप	70.00
8		2401-00-113-0115-कृषि में नवीनीकरण उर्जा के उपयोग	10.00
9		2402-00-102-0601-पुनर्पुन एवं कोशी (एफ.आर.आर) (मैक्रोमोड 90:10)	0.90
10		2402-00-102-0602-एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. (मैक्रोमोड 90:10)	4.50
11		2402-00-102-0102- पुनर्पुन एवं कोशी (एफ.आर.आर) (मैक्रोमोड 10:90)	0.10
12		2402-00-102-0103-एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. (मैक्रोमोड 10:90)	0.50
13		2402-00-102-0109-कृषि हेतु जल छाजन विकास कार्यक्रम	13.29
14		2415-01-277-0111-कृषि महाविद्यालय, किशनगंज	20.50
15		2415-07-277-0101-उद्यान महाविद्यालय, नालन्दा	8.40
16		2415-80-789-0101-उद्यान महाविद्यालय, नालन्दा	1.60
17		2435-01-101-0102-बीज प्रमाणक एजेन्सी	1.20
18	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	2403-00-103-0610-ग्रामीण बैंकयार्ड कुकुकुट	7.00
19		2403-00-103-0109-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1.50
20		2403-00-104-0105-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1.30
21		2403-00-107-0606-चारा बीज उत्पादन के लिए क्रय एवं वितरण की योजना	1.00
22		2403-00-107-0106- चारा बीज उत्पादन के लिए क्रय एवं वितरण की योजना	0.25
23		2403-00-109-0106-राज्य पशुपालन प्रशिक्षण स्थल	2.68
24		2403-00-113-0104-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	3.89
25		2403-00-789-0101-बैंकयार्ड बकरी पालन योजना	5.00
26		2405-00-101-0603-मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.60
27		2405-00-101-0605-अन्तर्देशीय मत्स्य सांविधिकी का विकास	0.19
28		2405-00-101-0612-मत्स्य विपणन योजना	5.85
29		2405-00-101-0106-मछुआरों के लिए आवास, शौचालय, पेयजल एवं अन्य नागरिक सुविधाएं	5.00
30		2405-00-101-0107-मत्स्य अनुसंधान योजना	0.60
31		2405-00-101-0110-मत्स्य प्रशिक्षण एवं प्रसार योजना	0.15
32		2405-00-101-0112-मत्स्य विपणन योजना	0.65
33		2405-00-120-0601-मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य सुविधाएं	5.00
34		2405-00-789-0101-मछुआरों की सहायता	5.11
35		2415-03-277-0101-विहार पशु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विश्वविद्यालय	20.00
36		4403-00-109-0101-राज्य पशुपालन प्रशिक्षण स्थल	7.32

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
37	02-पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	6405-00-190-0002-बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम को ऋण	0.03
38	03-भवन निर्माण विभाग	2059-01-053-0118-वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	0.61
39		4059-01-051-0605-पशु चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण योजना	0.75
40		4059-01-051-0105-पशु एवं मत्स्य विभाग के लिए भवनों का निर्माण	29.25
41		4059-01-051-0106-मंत्रिमंडल सचिवालय के लिए अभिलेख प्रकोष्ठ सह कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार/निर्माण	0.65
42		4059-01-051-0112-पशु चिकित्सालय सुदृढ़ीकरण योजना	0.25
43		4059-01-051-0116-संयुक्त श्रम भवन का निर्माण	4.75
44		4059-60-051-0611-बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	27.00
45		4059-60-051-0108-विरासत संरक्षण-वित्त आयोग	21.00
46		4059-60-051-0110-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)	23.60
47		4059-60-051-0111-बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना	15.00
48		4059-60-789-0103-विरासत संरक्षण-वित्त आयोग	4.00
49		4059-80-004-0001-निर्माण के पूर्व प्रारंभिक कार्य	0.15
50		4059-80-051-0002-लघु कार्य	3.75
51		4059-80-051-0604-न्यायिक भवन	2.18
52	04-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	4059-80-051-0118-पिछड़े वर्गों के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	1.00
53		4216-01-700-0001-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.05
54		4216-01-700-0602-न्यायिक आवासीय भवन	1.00
55		4216-80-101-0001-निर्माण के पूर्व प्रारंभिक कार्य	0.10
56		2070-00-001-0103-जन शिकायत निवारण व्यवस्था	3.00
57	05-राज्यपाल सचिवालय	2012-03-106-0004-राजभवन का सौन्दर्यीकरण पर व्यय	0.05
58	06-निर्वाचन विभाग	2015-00-103-0002-विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	0.15
59	09-सहकारिता विभाग	2401-00-110-0101-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम एवं अन्य व्यय अनुदान	0.50
60		2401-00-110-0104-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत किसानों को विभिन्न फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	150.00
61		2425-00-003-0103-सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मत एवं निर्माण	0.01
62		3451-00-090-0101-सहकारिता विभाग	7.50
63		6408-02-190-0101-बिहार राज्य भंडार निगम को गोदान निर्माण हेतु अनुदान	16.00
64		6425-00-108-0115-गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को ऋण	0.01
65		2810-60-789-0101-गैर परंपरागत उर्जा स्ट्रोत	2.61
66	10-ऊर्जा विभाग	6801-00-190-0105-बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण ए.पी.डी.पी.आर.पी.	53.82
67		6801-00-789-0102-बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण	150.23
68		6801-00-789-0103- बिहार राज्य विद्युत पर्षद को ऋण ए.पी.डी.पी.आर.पी.	10.25
69		6801-00-789-0105-बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड को ऋण ए.पी.डी.पी.आर.पी.	10.25

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
70	11-पिछङ्ग वर्ग एवं अति पिछङ्ग वर्ग कल्याण विभाग	2225-03-277-0606-छात्रों के लिए छात्रावास—मुख्य निर्माण कार्य	1.00
71		2225-03-277-0607-छात्राओं के लिए छात्रावास—मुख्य निर्माण कार्य	1.00
72		2225-03-277-0107-छात्रों के लिए छात्रावास—मुख्य निर्माण कार्य (50:50)	1.00
73		2225-03-277-0108-छात्राओं के लिए छात्रावास—मुख्य निर्माण कार्य (राज्य अंश 50:50)	1.00
74		7610-00-201-0002-भारतीय सेवा पदाधिकारियों को गृह निर्माण अग्रिम	0.50
75	13-ब्याज भुगतान	2049-60-701-0004-बिक्री कर वापसी के मामले में देय ब्याज	0.14
76	16-पंचायती राज विभाग	2515-00-101-0110-पंचायती राज प्रशासन एवं लोक विकास	52.18
77		2515-00-101-0112-सिवान जिला हेतु पिछङ्ग प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	13.22
78		2515-00-789-0107-पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास	7.82
79		2515-00-789-0109-सिवान जिला हेतु पिछङ्ग प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	1.71
80		2515-00-796-0116- सिवान जिला हेतु पिछङ्ग प्रक्षेत्र विकास कोष योजना	0.08
81		4515-00-101-0104-पंचायत सरकार भवन—वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में	208.43
82		4515-00-789-0102- वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायत सरकार भवन	41.57
83		3456-00-191-0101-निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	0.48
84	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	3456-00-192-0101- निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों को बैठक एवं यात्रा भत्ता	7.00
85		3456-00-198-0101-यू गठित समिति के गैर सरकारी सदस्यों	10.00
86		2406-01-101-0126-राष्ट्रीय सम विकास योजना	4.83
87	19-पर्यावरण एवं वन विभाग	2406-02-110-0603-अन्य उद्यान—संजय गांधी जैविक उद्यान (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.50
88		2406-02-110-0615-बाल्मिकि नगर व्याघ्र योजना पारिस्थिकी विकास (शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना)	0.25
89		2406-02-110-0619-बंजर भूमि का विकास	0.50
90		2406-02-110-0620-जीव—जन्तु उद्यान का विकास	0.20
91		2406-02-110-0109-संजय गांधी जैविक उद्यान (50:50) केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित योजना	0.50
92		2406-02-110-0120- जीव—जन्तु उद्यान का विकास	0.20
93		2406-02-111-0601-अन्य उद्यान	0.50
94	20-स्वास्थ्य विभाग	2210-01-102-0101-कर्मचारी राज्य बीमा योजना	0.25
95		2210-05-105-0015-शिक्षण शुल्क निर्धारण समिति	0.10
96		2210-05-105-0016-नामांकन पर्यवेक्षण समिति	0.10
97		2210-05-200-0101-इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को सहायता अनुदान	93.91
98		2011-00-001-0601-निदेशन	0.09
99		2235-60-200-0012-मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष	25.00
100		4210-01-110-0104-भागलपुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर	0.85
101		4210-01-110-0105-पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना	0.85
102		4210-01-110-0107-दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, दरभंगा	1.05

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
103	20-स्वास्थ्य विभाग	4210-01-110-0108-मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	0.85
104		4210-01-110-0110-इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना	5.35
105		4210-03-050-0102-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के लिए भूमि अर्जन (एलोपैथी)	5.00
106		4210-03-105-0102-डी.एम.सी.एच. के लड़कियों के लिए छात्रावास में पुलिया का मरम्मत	1.36
107		4210-03-105-0104-पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना	0.95
108		4210-03-105-0106-श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर	2.40
109		4210-03-105-0107-भागलपुर मेडिकल कॉलेज, भागलपुर	2.80
110		4210-03-789-0101-मेडिकल कॉलेजों	5.73
111		4210-05-050-0102-होमियोपैथिक कॉलेज मुजफ्फरपुर के लिए भूमि—अर्जन	0.71
112		4210-05-050-0103-आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना के लिए भूमि अर्जन	0.11
113	21-शिक्षा विभाग	2202-01-109-0003-मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	28.72
114		2202-01-789-0101-उपकरण (संयंत्र)	1.08
115		2202-02-001-0106-समन्वित विकलांग शिक्षा परियोजना	0.50
116		2202-02-109-0105-आई.टी.सी. परियोजना	53.00
117		2202-02-110-0007-गैर-सरकारी विद्यालयों को अनुदान	285.00
118		2202-03-103-0101-राजकीय महिला महाविद्यालय	2.00
119		2202-80-004-0112-जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	1.00
120		2205-00-105-0011-राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि को अनुदान	0.40
121	22-गृह विभाग	2055-00-001-0006-हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से होगी)	0.43
122		2070-00-108-0604-अग्नि एवं आकस्मिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण	6.00
123	23-उद्योग विभाग	2851-00-105-0101-बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान	4.89
124		2851-00-789-0102-हस्तशिल्प के विकास	0.01
125		2851-00-789-0103-जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	0.12
126		2851-00-789-0106-बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता अनुदान	0.11
127		2852-80-102-0150-सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी हेतु स्थापना	0.70
128		2852-80-789-0103- सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी की स्थापना	0.05
129		4851-00-102-0102-औजार कक्ष प्रशिक्षण केन्द्र	2.50
130		6885-01-190-0101-बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम को ऋण	0.05
131		6885-01-190-0109-बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम को ऋण	0.20
132		6885-01-190-0110-बिहार राज्य वित्तीय निगम को ब्याज रहित ऋण	0.20
133		6885-01-190-0113-बिहार राज्य फिल्म विकास निगम	0.05
134	25-सूचना प्राविधिकी विभाग	2852-07-202-0101-राष्ट्रीय ई-शासन योजना कॉमन सर्विस सेंटर	12.00
135		2852-07-202-0102-मुख्यमंत्री सचिवालय में जन शिकायत कोषांग	0.65
136		2852-07-202-0104-ई-क्रय योजना	1.00
137		2852-07-789-0101- राष्ट्रीय ई-शासन योजना (कॉमन सर्विस सेंटर)	1.92
138		2852-07-789-0102-राज्य डाटा केन्द्र	1.20

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
139	25-सूचना प्रावैधिकी विभाग	2852-07-789-0103-ई-शासन राज्य योजना	5.00
140		2852-07-789-0104-सूचना प्रावैधिकी विभाग का प्रचार एवं प्रसार योजना	1.20
141		3451-00-090-0131-सूचना प्रावैधिकी विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	3.70
142		4859-02-789-0101-बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	2.00
143	26-श्रम संसाधन विभाग	2230-01-101-0109-कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.50
144		2230-02-004-0103-ई.एम.आई. कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वेक्षण, शोध एवं सूल्योक्तन	0.05
145		2230-03-003-0128-भविष्य में कुशल श्रम शक्ति की आकलन के लिए अध्ययन	0.05
146		4250-00-051-0101-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवनों का निर्माण	4.00
147	29-खनन एवं भूतत्व विभाग	2853-02-004-0101-जियोलोजिकल एवं जी.पी.एस. लैब	1.00
148	30-अल्प-संख्यक कल्याण विभाग	2202-03-107-0105-कॉलेज में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति	0.30
149		2202-03-107-0106-अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग की व्यवस्था	0.20
150		2250-00-003-0101-अल्पसंख्यक वर्ग के कामगारों को प्रशिक्षण	0.10
151		2250-00-800-0101-वक्फ संपत्ति के सर्वे का कम्प्यूटरीकरण कार्य	0.10
152		2250-00-800-0107-वक्फ संपत्ति के रख-रखाव, सुरक्षा तथा संरक्षण	0.20
153		2250-00-800-0108-वक्फ संपत्ति के विकास हेतु रिभोलभिंग निधि के रूप में सहायता अनुदान	0.30
154		4225-80-051-0102-अल्पसंख्यक समुदायों के महानुभावों के नाम से भवन निर्माण	0.10
155		7465-00-190-0102-मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना	15.00
156	35-योजना एवं विकास विभाग	3454-02-204-0620-भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना	35.18
157		3454-02-204-0120- भारतीय सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना	2.60
158		3454-02-205-0003-राज्य सांख्यिकी तंत्र का सुदृढ़ीकरण-वित्त विभाग	7.60
159		3454-02-206-0101-वित्त आयोग-यू.आई.डी. कार्यक्रम	73.84
160		4070-00-051-0104-आपकी सरकार आपके द्वारा	60.00
161		2215-01-198-0001-ग्राम पंचायतों को नलकूपों की मरम्मति हेतु सहायता अनुदान	7.20
162	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	2215-02-003-0102-बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण सह शोधकार्य के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु अनुदान	0.50
163		4215-01-102-0602-केन्द्रीय ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	10.00
164		4215-01-102-0112-केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का राज्यांश भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रैनवाटर हारमेस्टिंग	0.50
165		4215-01-102-0115-जल संरक्षण, भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हारमेस्टिंग	0.20
166		4215-01-102-0128-शोध कार्य	0.05
167		4215-01-789-0102-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	2.50
168		4215-01-789-0104-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु (नाबाड़) से ऋण	8.33
169		4215-01-789-0105-अनाच्छादित, आंशिक अनाच्छादित, जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों के आच्छादन हेतु नलकूपों का निर्माण	3.00

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
170	36-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	4215-01-796-0107-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	2.00
171		4215-01-796-0109-ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना का विकास हेतु (नाबाई) से ऋण	0.31
172		4215-01-796-0110-अनाच्छादित, आंशिक अनाच्छादित, जल गुणवत्ता प्रभावित जिलों के आच्छादन हेतु नलकूपों का निर्माण	0.30
173		4215-01-796-0115-ग्रामीण जलापूर्ति योजना	0.25
174	38-निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	2039-00-001-0007-उत्पाद दुकानों की बंदी के लिए मुआवजा	0.20
175	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-01-101-0001-निःसहायों एवं विकलागों को नगद भुगतान	25.00
176		2245-01-101-0002-खाद्यान्न की आपूर्ति	10.00
177		2245-01-101-0003-संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	0.10
178		2245-01-101-0004-सूखा प्रभावित व्यक्तियों को कपड़ों एवं बर्तनों का मुफ्त वितरण	0.01
179		2245-01-101-0006- अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	13.00
180		2245-01-101-0007-स्वरोजगार	0.01
181		2245-01-102-0001-द्रकों एवं टैकरों से पेयजल की ढुलाई	5.00
182		2245-01-104-0001-चारे की पूर्ति	1.00
183		2245-01-105-0001-पशुओं के लिए दवा	0.50
184		2245-01-282-0001-दवाओं की आपूर्ति	0.10
185		2245-01-282-0002-जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मति	5.00
186		2245-02-101-0008-आग लगने से प्रभावित परिवारों को औषधियों की आपूर्ति हेतु अनुदान	0.50
187		2245-02-101-0011-नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पर्याप्त भाग का क्षरण	2.00
188		2245-02-101-0012-विभिन्न पंचायतों में भूखामरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक क्वींटल खाद्यान्न की सुरक्षित भंडार	5.34
189		2245-02-101-0013-स्वरोजगार योजना हेतु ग्रामीण विकास विभाग को नगद राशि आपूर्ति	0.10
190		2245-02-104-0001-चारे की पूर्ति	2.50
191		2245-02-105-0001-पशुओं के लिए दवा	2.00
192		2245-02-107-0001-सरकारी स्वास्थ्य एवं शिक्षा भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
193		2245-02-108-0001-सरकारी आवासीय भवनों की मरम्मत एवं प्रत्यास्थापन	0.10
194		2245-02-112-0004-संचार उपकरणों का क्रय	1.00
195		2245-02-113-0002-आग से जले मकानों की मरम्मति / प्रत्यास्थापन	0.01
196		2245-02-114-0002-वार्षिक फसलों के लिए सहायता	0.50
197		2245-02-114-0004-बागवानी की फसलों के लिए सहायता	0.10
198		2245-02-114-0005-पेरिनियल (शाश्वत) फसलों के लिए सहायता	0.10
199		2245-02-115-0001-भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता	0.50
200		2245-02-115-0002-मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद/बालू आदि का निकासन	0.10
201		2245-02-116-0001-खराब ट्यूबवेलों/पम्पसेटों आदि की मरम्मति के लिए किसानों को सहायता	0.10

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
202	39-आपदा प्रबंधन विभाग	2245-02-119-0001-पारम्परिक हस्तशिल्प बुनकरों को करघा उपकरणों की मरम्मति/पुनर्स्थापन हेतु सहायता	0.05
203		2245-02-119-0002-स्रूत एवं अच्युत सामग्रियों के क्रय हेतु सहायता	0.05
204		2245-02-119-0003-हस्तकरघा बुनकरों को सहायता	0.13
205		2245-02-196-0001-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता	0.05
206		2245-02-197-0001-प्रखंड स्तरीय पंचायतों/मध्य स्तरीय पंचायतों को सहायता अनुदान	0.05
207		2245-02-282-0001-मानव दवाओं की आपूर्ति	2.00
208		2245-02-282-0003-चलन्त स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पी.ओ.एल. की आपूर्ति	1.00
209		2245-02-800-0007-गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त सहायक सामग्री के परिवहन पर होने वाले व्यय	0.10
210		2245-06-101-0001-मृत व्यवित के परिवार को अनुग्रह अनुदान	0.10
211		2245-06-113-0001-भूकम्प से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मति	0.05
212		2245-80-003-0001-आपदा प्रशिक्षण पर व्यय	0.05
213		2245-80-102-0007-शताब्दी अन्न कलश योजना	10.00
214		2245-80-102-0103-एन.डी.एम.ए.	0.04
215		2245-80-789-0101-जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.50
216	41-पथ निर्माण विभाग	5054-02-337-0601-भारत नेपाल सीमा सड़क	200.00
217	42-ग्रामीण विकास विभाग	2216-03-105-0105-मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णधार योजना	10.00
218		2216-03-105-0106-मुख्यमंत्री इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	10.00
219		2515-00-003-0101-बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	4.10
220	43-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	4202-02-789-0101-पोलटेक्निक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	24.95
221	44-अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	2225-01-102-0116-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	2.00
222		2225-01-277-0008-बुक बैंक की स्थापना	0.16
223		2225-01-277-0606-अस्वच्छ कार्यों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के मैट्रिक स्तर पर छात्रवृत्ति	1.00
224		2225-01-277-0609-मेघा उन्नयन योजना	0.50
225		2225-01-793-0401-अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	40.00
226		2225-01-800-0004-वैधिक सहायता	0.01
227		2225-02-102-0101-अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की धारा 275 (1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्ति	11.03
228		2225-02-277-0601-वृतिका एवं छात्रवृत्ति	0.02
229		2225-02-277-0603-प्राक-परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	0.03
230		2225-02-800-0101-अन्य कल्याण कार्यक्रम	0.02
231	45-गन्ना उद्योग विभाग	2401-00-108-0108-गन्ना क्षय का राष्ट्रीय विकास (मैक्रोमोड राज्यांश 10:90)	0.17
232		2401-00-789-0107-कोपिंग प्रणाली पर आधारित गन्ना का राष्ट्रीय विकास	0.03
233		2852-08-789-0101-आर्थिक सहायता	4.56
234		2852-08-796-0101- आर्थिक सहायता	0.29
235	47-परिवहन विभाग	3055-00-003-0101-चालक प्रशिक्षण केन्द्र का उद्घाटन	1.55
236	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	2215-02-789-0102-गंगा जल प्रदूषण निवारण	4.80
237		2215-02-796-0104-गंगा जल प्रदूषण का निवारण	0.30
238		2217-05-191-0101-बी० पी० एल० सूची तैयार करने के लिए पारिवारिक सर्वेक्षण	10.00

परिशिष्ट 2.8

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	योजनाओं का नाम (लेखा शीर्ष)	कुल प्रावधान का अभ्यर्पण
239	48-शहरी विकास एवं आवास विभाग	2217-80-001-0101-बिहार नगरीय विकास परियोजना	58.00
240		2217-80-800-0133-अल्प लागत जलवाही शौचालय	0.50
241		3475-00-789-0101-स्वर्ण जयंति शहरी रोजगार योजना के लिए सहायक अनुदान	4.00
242	49-जल संसाधन विभाग	4711-01-051-0107-वित्त आयोग के अधीन बाढ़ नियंत्रण परियोजनायै	83.25
243	51-समाज कल्याण विभाग	2235-02-101-0106-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	7.00
244		2235-02-102-0001-परिवार एवं बाल कल्याण	0.45
245		2235-02-102-0119-स्वास्थ्य पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (बाह्य संपोषित)	37.00
246		2235-02-103-0110-नारी शक्ति परियोजना	24.00
247		2235-02-103-0113-स्वास्थ्य पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (बाह्य संपोषित)	20.00
248		2235-02-104-0103-मदर टेरेसा पेंशन योजना	1.00
249		2235-02-106-0101-प्रतिप्रेक्षण गृह	5.70
250		2235-02-106-0108-बाल कल्याण समिति एंव किशोर न्याय परिषद	2.56
251		2235-02-200-0104-बिहार परिवार लाभ योजना	5.00
252		2235-02-789-0108-मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	6.00
253		2235-02-789-0109-मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	20.00
254		2235-02-800-0002-अंतर जातीय विवाह के लिए सहायक अनुदान	0.50
255		2235-02-800-0101-प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन इत्यादि	0.50
256		4235-02-051-0101-समाज कल्याण प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न भवनों का निर्माण	8.60
257		4235-02-102-0103-बाह्य संपोषित योजना—समेकित बाल विकास योजना	218.35
258		4235-02-102-0105-स्वास्थ्य औंगनवाड़ी केन्द्र (बाह्य संपोषित)	7.00
259		4235-02-102-0106-पर्यवेक्षण गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.50
योग			2851.00

(स्त्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोजन का संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाना शेष रहा	प्रतिशत
1	04-मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	38.14	30.32	7.82	20.50
2	11-पिछ़ा वर्ग एवं अति पिछ़ा वर्ग कल्याण विभाग	36.97	14.08	22.89	61.92
3	12-वित्त विभाग	2478.87	212.60	2266.27	91.42
4	13-ब्याज संदाय	556.80	1.74	555.06	99.69
5	14-ऋण की वापसी अदायगी	13.12	9.00	4.12	31.40
6	15-पेंशन	1674.08	0.15	1673.93	99.99
7	18-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	168.46	141.22	27.24	16.17
8	21-शिक्षा विभाग	2837.23	1862.99	974.24	34.34
9	22-गृह विभाग	734.85	570.03	164.82	22.43
10	28-बिहार का उच्च न्यायालय	24.39	18.62	5.77	23.66
11	30-अल्प संख्यक कल्याण विभाग	428.82	63.93	364.89	85.09
12	32-विधान मंडल	11.96	10.66	1.30	10.87
13	33-सामान्य प्रशासन विभाग	110.63	74.00	36.63	33.11
14	37-ग्रामीण कार्य विभाग	427.17	370.09	57.08	13.36
15	42-ग्रामीण विकास विभाग	424.41	374.73	49.68	11.71
योग		9956.90	3754.16	6211.74	

(स्रोत: विनियोग लेखा, 2012-13, बिहार सरकार)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1	2401-फसल कृषि कर्म	800.88	403.24	50.35
2		2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	20.50	20.50	100.00
3		4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	70.00	22.19	31.70
4	2	2403-पशुपालन	376.80	285.78	75.84
5		2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	20.00	20.00	100.00
6		3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	22.71	10.37	45.66
7	3	2059-लोक निर्माण कार्य	213.67	34.65	16.22
8		4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	19.00	12.46	65.58
9		4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	522.03	288.48	55.26
10		4408-खाद्य भंडारण एवं भंडागार पर पूँजीगत परिव्यय	297.16	254.37	85.60
11	4	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	23.99	14.87	61.98
12	10	2801-उर्जा	87.89	75.19	85.55
13		2810-गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	13.68	10.09	73.76
14		4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	858.88	685.25	79.78
15	12	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन	298.00	43.05	14.45
16		2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	25.40	20.59	81.06
17		2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	198.91	107.66	54.12
18		2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2182.38	453.22	20.77
19	17	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	114.87	46.90	40.83
20	18	3456-सिविल पूर्ति	56.90	53.82	94.59
21	20	2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	323.67	49.29	15.23
22		2211-परिवार कल्याण	401.55	102.20	25.45
23		2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	25.00	25.00	100.00
24		4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	179.15	61.11	34.11
25	21	2202-सामान्य शिक्षा	3736.23	1601.50	42.86
26		4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	200.00	36.19	18.10
27	22	2055-पुलिस	310.39	92.95	29.95
28		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	163.75	27.52	16.81
29		4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	109.09	76.80	70.40
30	25	2852-उद्योग	214.22	89.61	41.83
31		3451-सचिवालय-आधिक सेवाएं	20.00	11.86	59.30
32		4859-दर्सन्चार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	45.00	26.19	58.20
33	27	2014-न्याय प्रशासन	494.30	94.04	19.02
34	28	2014-न्याय प्रशासन	101.79	18.62	18.29
35	30	2202-सामान्य शिक्षा	15.00	11.50	76.67

परिशिष्ट 2.10

क्रम सं०	अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	कुल प्रावधान का प्रतिशतता
36	30	4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	26.75	19.55	73.08
37		4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	37.25	14.88	39.95
38	33	2051-लोक सेवा आयोग	23.40	19.64	83.93
39		2053-जिला प्रशासन	276.03	43.58	15.79
40	35	2053- जिला प्रशासन	89.11	31.15	34.96
41		3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	411.39	411.37	99.99
42		3454-जनगणना संवेदन एवं सांख्यिकी	186.42	106.81	57.30
43		4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	1071.88	920.50	85.88
44		4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	400.00	150.00	37.50
45	36	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	248.85	35.34	14.20
46		4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	323.39	170.55	52.74
47	37	2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	206.91	40.31	19.48
48		3054-सड़क तथा सेतु	350.00	71.42	20.41
49	38	2039-राज्य उत्पाद	61.31	21.54	35.13
50	39	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	273.00	245.81	90.04
51	40	2029-भू राजस्व	32.67	12.83	39.27
52	41	3054-सड़क तथा सेतु	269.40	75.65	28.08
53		5054-सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय	1725.00	792.16	45.92
54	42	2216-आवास	676.93	140.70	20.79
55		2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	240.00	40.59	16.91
56	43	4202-शिक्षा, खेल-कूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	147.95	74.00	50.02
57	44	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ वर्गों का कल्याण	461.52	94.93	20.57
58	45	2401-फसल कृषि कर्म	59.16	22.38	37.83
59		6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	22.58	13.63	60.36
60	48	2015-निर्वाचन	40.00	24.71	61.78
61		2217-शहरी विकास	441.12	223.34	50.63
62		3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	92.83	51.02	54.96
63	49	2700-मुख्य सिंचाई	90.69	12.60	13.89
64		2705-कमान क्षेत्र विकास	89.20	37.70	42.26
65		2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	100.00	30.73	30.73
66		4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	848.80	365.11	43.01
67		4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	51.50	35.48	68.89
68		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	184.75	33.83	18.31
69	50	2702-लघु सिंचाई	298.40	64.01	21.45
70		4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	268.00	105.78	39.47
71	51	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1477.30	313.10	21.19
72		2236-पोषाहार	585.99	117.71	20.09
73		4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	218.35	218.35	100.00
		योग	24970.62	10389.85	

स्त्रोतःकार्यालय महालेखाकार लेखा एवं हकदारी से प्राप्त सूचना

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष 2012–13 का कुल व्यय	माह मार्च 2013 में कुल व्यय	(₹ करोड़ में) कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2048	254.95	254.95	100.00
2	2217	1137.20	579.01	50.92
3	2404	162.52	107.93	66.41
4	2501	123.15	74.90	60.82
5	2515	3034.23	1713.56	56.47
6	2705	52.05	51.65	99.23
7	2810	6.55	5.59	85.29
8	2851	62.99	39.38	62.52
9	3452	25.16	15.45	61.41
10	3604	3.71	1.97	52.94
11	4047	12.65	9.24	73.01
12	4070	185.85	111.41	59.95
13	4202	364.44	340.88	93.54
14	4216	22.07	13.85	62.77
15	4217	2.00	2.00	100.00
16	4225	3.79	3.42	90.42
17	4406	5.20	2.65	50.97
18	4408	34.72	24.30	69.98
19	5053	26.75	24.69	92.31
20	6860	8.95	7.93	88.60
21	7465	5.00	5.00	100.00
योग		7396.10	4421.04	

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, 2012-13, बिहार सरकार)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	(₹ करोड़ में) असमाशोधित राशि
1	2011-संसद/राज्य/संघ शासित क्षेत्र विधानमंडल	100.04	23.21
2	2013-मंत्रिपरिषद	15.68	11.85
3	2014-न्याय प्रशासन	526.56	192.43
4	2015-निर्वाचन	60.37	39.29
5	2029-भू-राजस्व	394.56	389.60
6	2039-राज्य उत्पाद	42.67	33.25
7	2041-वाहन पर कर	25.28	21.74
8	2048-ऋण घटाने या उसका परिहार के लिए विनियोजन	254.95	254.95
9	2049-ब्याज भुगतान	4428.31	4428.31
10	2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं	140.81	61.72
11	2053-जिला प्रशासन	243.19	214.50
12	2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन	54.37	52.73
13	2055-पुलिस	3187.86	2023.62
14	2059-लोक निर्माण कार्य	267.78	251.84
15	2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	232.50	72.69
16	2071-पैशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	8363.53	8102.14
17	2202-सामान्य शिक्षा	13956.71	13529.57
18	2203-तकनीकि शिक्षा	62.80	35.44
19	2204-खेल-कूद तथा युवा सेवाएं	29.09	26.70
20	2205-कला एवं संस्कृति	31.57	22.56
21	2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1511.72	774.54
22	2211-परिवार कल्याण	324.17	245.25
23	2215-जलापूर्ति एवं सफाई	362.21	314.97
24	2216-आवास	804.74	642.62
25	2217-शहरी विकास	1137.20	656.98
26	2220-सूचना तथा प्रचार	73.97	22.57
27	2225-अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1750.56	1749.42
28	2230-श्रम एवं रोजगार	93.35	71.11
29	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2004.59	1884.48
30	2236-पोषाहार	799.69	773.78
31	2245-प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	211.25	200.57
32	2251-सचिवालय सामाजिक-सेवाएं	40.33	28.16
33	2401-फसल कृषि-कर्म	1813.90	20.46
34	2402-मृदा एवं जल संरक्षण	28.35	25.01
35	2403-पशुपालन	268.23	202.39
36	2404-डेयरी विकास	162.52	157.86
37	2405-मत्स्य पालन	94.28	75.04
38	2406-वानिकी तथा बन्य प्राणी	165.85	165.85
39	2408-खाद्य भंडारण तथा भंडागार	27.61	24.35
40	2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	307.16	301.27
41	2425-सहकारिता	268.88	208.44
42	2501-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	123.15	120.47
43	2505-ग्राम नियोजन	274.86	274.85
44	2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	3034.23	2985.61

परिशिष्ट 2.12

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
45	2701-मध्यम सिंचाई	68.14	40.24
46	2702-लघु सिंचाई	261.72	115.87
47	2705-कमांड क्षेत्र विकास	52.05	52.05
48	2711-बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास	200.95	58.02
49	2801-उर्जा	3193.38	2031.25
50	2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	62.99	14.16
51	2852-उद्योग	458.60	309.15
52	3054-सड़क तथा पुल	822.84	727.53
53	3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	83.83	47.12
54	3452-पर्यटन	25.16	21.93
55	3456-सिविल आपूर्ति	481.15	368.46
56	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	12.65	12.62
57	4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	257.28	257.28
58	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	260.59	260.59
59	4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	185.85	185.85
60	4202- शिक्षा, खेल-कूद कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत व्यय	364.44	356.97
61	4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	562.50	562.50
62	4215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	258.37	257.86
63	4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय	22.07	22.07
64	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	24.24	24.24
65	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	93.38	88.83
66	4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	24.81	24.81
67	4408-खाद्य भंडागार एवं भंडारण पर पूँजीगत परिव्यय	34.72	34.72
68	4425-सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय	26.93	26.93
69	4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1874.40	291.37
70	4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	737.39	667.71
71	4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	78.76	74.46
72	4702-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	166.91	166.91
73	4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	956.99	956.99
74	4801-उर्जा परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	173.63	173.63
75	4859-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय	18.81	18.81
76	5054-सड़क तथा पुल पर पूँजीगत परिव्यय	3291.10	3291.10
77	5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	78.54	60.19
78	5465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	16.50	16.50
	योग	63333.09	53332.91

(स्रोत:कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त सूचना)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग / मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
1	2011	राज्य विधान सभा	चिकित्सा विपत्र का भुगतान
2		वेतन एवं भत्तों का भुगतान	0.18
3		कम्प्यूटर पेरीफेरल पर व्यय	0.80
4	2014	न्याय प्रशासन	बिहार के सभी न्यायाधीश कार्यालयों के लिए ई-कोर्ट मोड परियोजना के लागू करने पर व्यय
5		मोटर वाहन का क्रय (दो बार)	0.73
6		शिवहर न्यायालय भवन के सजावट पर व्यय	0.51
7		फोटो कॉपी मशीन, कम्प्यूटर पेरीफेरल के क्रय पर व्यय	0.30
8		वेतन एवं भत्तों पर व्यय	0.85
9	2041	मोटर वाहन पर कर	विशेष एवं व्यावसायिक सेवाओं पर व्यय
10	2051	लोक सेवा आयोग	राज्य सेवा आयोग के चेयर पर्सन के 15 वें राष्ट्रीय सम्मेलन पर व्यय
11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएँ	ललित भवन पट्टना के किराये की बढ़ोतरी पर व्यय
12		वरीय उप बैंकिंग क्लेक्टर पद के लिए भुगतान	0.12
13		मोटर वाहन का क्रय (चार बार)	0.20
14	2055	पुलिस	पुलिस पर्सनल के प्रशिक्षण पर व्यय
15		मोईनुल हक स्टेडियम के बकाया विद्युत विपत्र का भुगतान	0.53
16	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	वेतन एवं भत्तों का भुगतान
17		फारविसगंज गोली कांड के न्यायिक कमीशन के अवधि विस्तार पर व्यय	0.74
18		कोशी डैम इरोजन के न्यायिक कमीशन की स्थापना पर व्यय	0.56
19		सहकारिता के चुनाव पर व्यय	0.90
20		लोक सुरक्षा संगठन पर व्यय (दो बार)	0.24
21		भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रशिक्षण पर व्यय (तीन बार)	0.32
22		भागलपुर न्यायिक जाँच आयोग के वेतन पर व्यय	0.22
23		नवी प्रशिक्षण इंस्टिच्यूट के उच्च जागरूकता एवं प्रसारण पर व्यय	0.87
24	2202	सामान्य शिक्षा	उर्दू अकादमी महोत्सव पर व्यय
25		मुख्यमंत्री पोशाक योजना पर व्यय	160.00
26		यू.जी.सी. कर्मचारियों को बकाया भुगतान	0.35
27	2205	कला एवं संस्कृति	अंतराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन पर व्यय
28	2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	अस्पतालों में पदस्थ "ममता" को भुगतान
29	2235	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	मोटर वाहन का क्रय
30		उच्च न्यायालय के भरडिक्ट के वेतन पर व्यय	0.42
31		वेतन में सहायता अनुदान पर व्यय	0.50
32	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	खादीमूल हिजाज पर व्यय
33	2251	सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	वेतन, बकाया एवं गाड़ियों के मरम्मत पर व्यय
34		मोटर वाहन का क्रय (तीन बार)	0.21

परिशिष्ट 2.13

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विभाग / मुख्य शीर्ष का नाम	प्रयोजन	राशि
35	2401	फसल कृषि कर्म	खरीफ फसल की सिंचाई के लिए डीजल क्रय पर भुगतान	200.00
36			मोटर वाहन का क्रय	0.10
37			फसल बीमा प्रिमियम का भुगतान	64.00
38	2405	मत्स्य	मत्स्य विकास कार्य पर व्यय	44.00
39	2406	वानिकी एवं वन्य जीवन	जल संवर्धन कार्य एवं जंगल भूमि पर व्यय	4.83
40	2408	खाद्य भंडारण एवं भंडारागार	गोदाम के निर्माण पर व्यय	16.00
41	2425	सहकारिता	मौसम समाप्ति पर उर्वरक भंडारण पर व्यय	15.00
42	2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	वेतन भुगतान पर व्यय	5.88
43	3451	सचिवालय सामाजिक सेवाएँ	आयोजना स्थापना व्यय	0.16
44			मोटर वाहन का क्रय (दो बार)	0.21
45	4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सुरक्षा पर व्यय	14.70
46	4058	लेखन सामग्री एवं मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय	प्रिंटिंग प्रेस गुलजारबाग, पटना पर व्यय	0.99
47	4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	बौद्ध संग्रहालय वैशाली के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पर व्यय	15.52
48			राज्यपाल भवन के पास राजेन्द्र मंडप निर्माण पर व्यय (दो बार)	2.84
49			राजस्व प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण पर व्यय	0.90
50	4202	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	बी.आई.टी. भवन, पटना के निर्माण पर व्यय	2.00
51	4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	कार्डियोलॉजी इंस्टिचूट, पावापुरी, नवादा के निर्माण पर व्यय	89.00
52	4406	वानिकी एवं वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय	उच्च न्यायालय, पटना भर्डिकट को भुगतान	0.50
43	6408	खाद्य भंडारण एवं भंडारागार के लिए ऋण	राज्य खाद्य निगम को गेहूँ खरीद के लिए ऋण (दो बार)	1000.00
54	6425	सहकारिता के लिए ऋण	मौसम समाप्ति पर उर्वरक के भंडारण पर व्यय	45.00
55	6801	उर्जा परियोजना के लिए ऋण	बिहार राज्य पावर कम्पनी लिमिटेड को ऋण (सात बार)	739.94
56	6860	उपभोक्ता उद्योग को ऋण	चीनी कम्पनी कर्मचारी के निकायी समझौते पर व्यय	21.31
57			बिहार राज्य सुगर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों पर व्यय	1.00
योग				2470.56

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष	राशि	अभ्यर्पण के कारण
1	2	4403— पशुपालन पर पूँजी परिव्यय—00—109 विस्तार और प्रशिक्षण—0101—राज्य पशुपालन प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स	07.32	अस्थीकृत आयोजना
2		2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—03—पशुपालन—277—शिक्षा 0101—बिहार पशु विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय	20.00	
3		2403—पशुपालन—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0101—बैंक यार्ड बकरी पालन योजना	05.00	
4		2403—पशुपालन—00—109—विस्तार तथा प्रशिक्षण—0106—राज्य पशुपालन प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स	2.68	
5		2403—पशुपालन—00—107—चारा तथा चारागाह विकास—0106—चारा बीज उत्पादन क्रय एवं वितरण की योजना	0.25	
6		2403—पशुपालन—00—104—भेड़ तथा ऊन विकास—0105 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1.30	
7		2403—पशुपालन—00—107—चारा तथा चारागाह विकास 0606—चारा बीज उत्पादन क्रय एवं वितरण योजना	1.00	
8		2405—मत्स्य पालन 00—001—निदेशन और प्रशासन—0102—मत्स्य प्रसार	8.65	
9		2405—मत्स्य पालन—00—101—अंतर्देशीय मत्स्य पालन—0104—तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	1.72	
10		2405—मत्स्यपालन—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0101—मछुआरों की सहायता	5.11	
11		2405—मत्स्यपालन—00—101—अंतर्देशीय मत्स्य पालन—0116 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	6.65	
12	22	4055—पुलिस पूँजीगत परिव्यय 00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0101—भवनों का निर्माण एवं संधारण	79.28	गृह मंत्रालय के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना का अस्तित्व नहीं।
13		4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 0101—भवन निर्माण के लिए बिहार अग्निशामक सेवा	03.39	
14	33	2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ—00—104—सर्तकता 0012—लोकायुक्त का कार्यालय (प्रभृत)	0.47	सचिव, उप सचिव एवं अन्य पद रिक्त रहने के कारण
15		2251—सचिवालय—समाजिक सेवाएँ—00—092—अन्य कार्यालय—0002—राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय	0.53	
16	35	3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—02—सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—204—केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन 0401—सर्वेक्षण गणना	2.15	अस्थीकृत आयोजना

परिशिष्ट 2.14

क्रम सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष	राशि	अभ्यर्पण के कारण
17	35	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय—00—051—निर्माण—0109—योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में।	7.87	
18		2052—सचिवालय सामान्य सेवाएँ—00—090—सचिवालय—0103—योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण	0.15	अस्वीकृत आयोजना
19		3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा संख्याकी — 02—सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—204—केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन—0120—भारत सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना	2.6	
20		2053—जिला प्रशासन—00—093—जिला स्थापनाएँ—0105—वित्त आयोग जिला नवाचार निधि	12.00	
21		4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0102—सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1.08	
22		2053—जिला प्रशासन—00—094— अन्य स्थापनाएँ—0109— योजना यंत्र का सुदृढ़ीकरण —जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के आलोक में।	0.20	
23		4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय— 00—051—निर्माण—0110—सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (योजना एवं विकास विभाग)	2.75	
24	36	4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय—01—जलापूर्ति—102—ग्रामीण जलापूर्ति — 0603—त्वरित शहरी जलापूर्ति योजना	1.93	नई योजना अस्वीकृत
25	39	2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—80—सामान्य—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 0101—जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.50	आपदा प्रबंधन विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिए जागरूकता एवं क्षमता निर्माण के लिए कोई विशेष योजना नहीं होने के कारण
26	51	2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—02—समाज कल्याण 104—वृद्ध अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण—0103—मदर टेरेसा पैशन योजना।	1.00	आयोजना अस्वीकृत
27		2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—02—समाज कल्याण—200—अन्य कार्यक्रम—0104—बिहार परिवार लाभ योजना।	5.00	आयोजना अस्वीकृत
योग			180.58	

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
1	2047—अन्य राजकोषीय सेवाएँ—00—103—अल्प बचतों की अभिवृद्धि—0002—जिला प्रभार	0.70	402	25/03/2013
2	2047—अन्य राजकोषीय सेवाएँ—00—103—अल्प बचतों की अभिवृद्धि—0003—अल्प बचत प्रचार	0.04	403	25/03/2013
3	2048—ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन—00—101—निक्षेप निधि—0001—शोधन निधि	43.05	386	31/03/2013
4	2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएँ—00—090—सचिवालय—0008—वित्त विभाग	9.60	397	31/03/2013
5	2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएँ—00—090—सचिवालय—0015—भविष्य निधि लेखा स्थापना	0.26	1676	30/03/2013
6	2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएँ—00—092—अन्य कार्यालय—0005—राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना मुख्यालय प्रभार	3.77	218	31/03/2013
7	2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएँ—00—092—अन्य कार्यालय—0010—वित्तीय संस्थान एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	0.28	396	31/03/2013
8	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन—00—095—लेखा तथा खजाना निदेशालय—0002—भविष्य निधि लेखा का संधारण	4.27	1675	30/03/2013
9	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन—00—095—लेखा तथा खजाना निदेशालय—0102—भविष्य निधि लेखा का संधारण	0.25	97	01/03/2013
10	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन—00—095—लेखा तथा खजाना निदेशालय—0103—बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन परियोजना)	20.59	395	31/03/2013
11	2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन—00—097—खजाना स्थापना—0001—कोषागार एवं अन्य उप कोषागार	3.47	391	31/03/2013
12	2058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण—00—101—लेखन सामग्री भंडार क्रय एवं पूर्ति—0001—लेखन सामग्री कार्यालय	2.99	399	31/03/2013
13	2058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण—00—102—फार्म का मुद्रण, भंडार तथा वितरण—0001—फार्म प्रेस गया	2.45	394	31/03/2013
14	2058—लेखन सामग्री एवं मुद्रण—00—103—सरकारी मुद्रणालय—0001—बिहार सचिवालय प्रेस।	2.70	398	31/03/2013
15	2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ—00—004—अनुसंधान एवं अनुसंधान विकास—0001—लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र	0.36	202	31/03/2013
16	2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएँ—00—800—अन्य व्यय—0008—विविध आकस्मिक व्यय	2.18	405	31/03/2013

परिशिष्ट 2.15

क्रम सं.	शीर्ष	राशि	पत्र संख्या	दिनांक
17	2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएँ—00—104—खेल—कूद 0006—सचिवालय स्पॉट्स क्लब को सहायक अनुदान	0.15	401	31/03/2013
18	2515—अन्य विकास कार्यक्रम—00—102—सामुदायीक विकास—0114—बिहार ग्रामीण जीवीकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक संपोषित)	71.19	120	31/03/2013
19	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम—00—789—अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना—0101—राज्य ग्रामीण लाइब्ररी योजना (विश्व बैंक)	36.47	121	31/03/2013
20	2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम —00—796— जनजातीय क्षेत्र उप योजना —0114— बिहार ग्रामीण जीवीकोपार्जन (विश्व बैंक)	3.22	122	31/03/2013
21	4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय—00—103—सरकारी मुद्रणालय—0101—मशीनरी और उपस्कर सरकारी प्रेस गुलजारबाग के आधुनिकीकरण की योजना	0.02	400	31/03/2013
22	7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	4.57	404	31/03/2013
योग		212.58		

(₹ लाख में)

लेखे का शीर्ष	व्यय के आंकड़े		भिन्नता
	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा लेखांकित	विभाग द्वारा दिखाये गये	
2047	339.31	338.84	0.47
2048	25495.36	25495.00	0.36
2052	4555.35	4510.92	44.43
2054	5438.48	4360.15	1078.33
2058	1294.12	1294.71	0.59
2070	94.51	92.77	1.74
2075	886.14	0.00	886.14
2515	9411.99	9412.00	0.01
7610	1646.08	1284.35	361.73
भिन्नता का योग			2373.80

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, 2012–13, विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए व्यय राशि)

गए निधि का विवरण

(संदर्भ: कंडिका 2.9.3, पृष्ठ 54)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	लेखा शीर्ष	अन्यर्पित राशि
1	2203—तकनीकी शिक्षा—00—112—इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान 0001—स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	1.55
2	2203—तकनीकी शिक्षा—00—105—पॉलिटेक्नीक— 0001—प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम (बहुशिल्प)	0.84
3	2203—तकनीकी शिक्षा—00—103—तकनीकी विद्यालय—0003—बी.आई.टी., सिन्दरी	0.00
4	2203—तकनीकी शिक्षा—00—103—तकनीकी विद्यालय—0001—प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	0.17
5	2203—तकनीकी शिक्षा—00—102—तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता 0001—पटना विश्वविद्यालय	0.02
6	2203—तकनीकी शिक्षा—00—001—निदेशन और प्रशासन—0002—राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद	0.01
7	2203—तकनीकी शिक्षा—00—001—निदेशन और प्रशासन—0001—तकनीकी शिक्षा निदेशालय	0.41
8	2203—तकनीकी शिक्षा—112—इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान 0101—स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	0.49
9	2203—तकनीकी शिक्षा—105— पॉलिटेक्नीक —0101—स्नातक—पत्र पाठ्यक्रम (विश्ववैक सम्पोषित) पॉलिटेक्नीक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना	0.25
10	2203—तकनीकी शिक्षा—00—004—अनुसंधान—0101—बिहार कॉउन्सिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पटना रिमोट सेसिंग केन्द्र/इंदिरा गाँधी विज्ञान परिसर प्लेनेटोरियम, पटना	3.70
11	3451—सचिवालय, आर्थिक सेवाएँ—00—090—सचिवालय—0003—विज्ञान तथा तकनीकी विभाग	0.26
12	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय—02—तकनीकी शिक्षा 104—बहुशिल्प, 0403—नये पॉलिटेक्नीक की स्थापना एवं वर्तमान पॉलिटेक्नीकों का उन्नयन	74.00
13	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय—02—तकनीकी शिक्षा—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0101— पॉलिटेक्नीक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय	1.00
14	4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय— 02—तकनीकी शिक्षा—105—इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान 0102— पॉलिटेक्नीक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय	2.72
15	4202—शिक्षा , खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय— 02—तकनीकी शिक्षा—104—बहुशिल्प—0102— पॉलिटेक्नीक / इंजीनियरिंग / तकनीकी महाविद्यालय	1.71
योग		87.13

(स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखा, बिहार सरकार, 2012–13)

क्रम सं०	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	जिस वर्ष तक लेखा प्रस्तुत किये गए	लेखा प्राप्ति की तिथि	जिस अवधि तक पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन जारी करने की तिथि	विधान मंडल में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रखना	लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब	अस्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोदय बोर्ड, पटना	2009-10	2007-08	15/07/2009	2007-08	31/05/2013	पत्र सं. 498/3926 दिनांक 22/12/2009 के अनुसार वर्ष 2001-02 तक	एक वर्ष 15 दिन	वर्ष 2008-09 से वर्ष 2011-12 के लेखे अब तक अपार्ट
2	बिहार राज्य आयास बोर्ड, पटना	2004-05 से आगे	2004-05 से 2011-12	22/04/2013	2003-04	13/05/2010	स्थापन की सूचना प्राप्त नहीं हुई	7 वर्ष से 9 माह	कोई नहीं
3	बिहार राज्य शिक्षिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2011-12	17/08/2012	2011-12	20/12/2012	स्थापन की सूचना प्राप्त नहीं हुई	एक माह 17 दिन	कोई नहीं
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय पूर्णा, समरस्तीपुर	2011-12	2011-12*	वर्ष 2011-12 का लेखा दिनांक 28/05/2013 को प्राप्त किया गया	2008-09	-	विर्तीय वर्ष 2001-02 से 2002-03 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान मंडल में स्थापन हेतु कृषि विभाग के पत्र सं. 3682 दिनांक 29/07/2009 से सेजे गये	10 माह 28 दिन	कोई नहीं

* वर्ष 2011-12 की अवधि के वार्षिक लेखों में प्रवधक बोर्ड के बिना अनुमोदन के कार्यालय में प्राप्त किये गये।
(स्रोत: लेखा परीक्षा निष्कर्ष)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल व्यय	लघु शीर्ष—800 के अंतर्गत व्यय	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय की प्रतिशतता
1	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	8.87	8.86	99.89
2	3452	पर्यटन	25.16	20.24	80.45
3	5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	78.54	78.59	100.06 [#]
योग			112.57	107.69	

[#] इनमें ₹ 0.05 करोड़ तक की लेखा वसूली शामिल है फलतः इसकी प्रतिशतता 100 से अधिक है।
(स्रोत: वित्त लेखा, वर्ष 2012–13)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	नामावली	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष ८०० के अंतर्गत प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष ८०० के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रतिशतता
1	0029	भू-राजस्व	205.45	113.16	55.08
2	0059	लोक निर्माण	6.06	6.05	99.83
3	0071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसालिहाँ	150.98	150.20	99.48
4	0075	विविध सामाज्य सेवाएँ	22.03	21.10	95.78
5	0210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	41.02	21.14	51.54
6	0215	जलाधूर्ति एवं स्वच्छता	3.18	2.13	66.98
7	0230	श्रम एवं रोजगार	3.69	2.32	62.87
8	0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.98	0.98	100.00
9	0250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	0.66	0.61	92.42
10	0401	फसल कृषि-कर्म	7.18	4.33	60.31
11	0425	सहकारिता	10.95	10.03	91.60
12	0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20.90	20.69	99.00
13	0851	ग्राम तथा लघु उद्योग	0.08	0.05	62.50
14	0852	उद्योग	27.69	27.69	100.00
15	1053	नगर विमानन	8.25	8.09	98.06
16	1054	सड़क एवं पुल	32.56	32.47	99.72
17	1456	असैनिक आपूर्ति	0.04	0.04	100.00
योग			54170.00	421.08	

(स्रोत: वित्त लेखा, वर्ष 2012–13)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग / इकाई	संबंधित अवधि	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या / वर्ष	राशि
1.	शिक्षा (जिला शिक्षा पदाधिकारी, रोहतास)	2007–08 से 2008–09	395 / 2012–13	0.21
2.	निबंधन, उत्पाद एवं मद्द—निषेध (अधीक्षक उत्पाद, सीतामढ़ी)	2010–11 से 2011–12	137 / 2012–13	0.07
3	परिवहन (जिला परिवहन पदाधिकारी, समस्तीपुर)	2011–12	48 / 2012–13	0.01
योग				0.29

(स्रोत: लेखापरीक्षा निष्कर्ष)